



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03082022-237888
CG-DL-E-03082022-237888

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 381]
No. 381]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 1, 2022/श्रावण 10, 1944
NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 1, 2022/SHRAVANA 10, 1944

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2022

सं. बीईई/एसएंडएल/यूएचडी/02/2022-23.—ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ब्यूरो), केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 13 की उप-धारा (2) के खंड (ढ) के साथ पठित धारा 58 की उप-धारा (2) के खंड (झ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन (यूएचडी) टेलीविजन के लेवल पर उनके प्रदर्शन के विवरण और तरीके) विनियम 2022 को अधिसूचित करने का प्रस्ताव करता है, प्रस्तावित विनियमों के प्रारूप को उक्त अधिनियम की धारा 58 की उप-धारा (1) द्वारा यथा-अपेक्षित भारत के राजपत्र, असाधारण में एतद्वारा उन सभी व्यक्तियों के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है; और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर भारत के राजपत्र, असाधारण में उनके प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधि की समाप्ति पर या उसके बाद विचार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, महानिदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विद्युत मंत्रालय, चौथा तल, सेवा भवन, आर. के. पुरम, सेक्टर-1, नई दिल्ली-110066 को प्रेषित किए जा सकते हैं;

उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से उपरोक्त पैरा 1 में निर्दिष्ट तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पहले प्राप्त होने वाली आक्षेप या सुझावों पर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा विचार किया जाएगा।

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ- (1) इन विनियमों को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (यूएचडी टेलीविजन के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और तरीका) विनियम, 2022 कहा जाएगा।

(2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" का अर्थ है ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52);

(ख) "यूएचडी टेलीविजन" का अर्थ अधिनियम की धारा 14 के खंड (ख) के अंतर्गत अधिसूचना में निर्दिष्ट एक उपकरण है;

(ग) "फार्म" का अर्थ है इन विनियमों के साथ संलग्न फार्म;

(घ) "लेबल" का अर्थ यूएचडी टेलीविजन पर चिपका हुआ या प्रदर्शित होने वाला कोई लिखित, मुद्रित, चिह्नित, मुहर लगी या ग्राफिक सामग्री है;

(ङ) "लेबल अवधि" का अर्थ है धारा 14 के खंड (क) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ऊर्जा खपत मानक के अंतर्गत वार्षिक ऊर्जा खपत की वैधता अवधि और यदि वार्षिक ऊर्जा खपत की वैधता अवधि की समाप्ति अवधि अधिसूचित नहीं की जाती है, तो यह केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए नए मूल्यों को अधिसूचित किए जाने तक वैध माना जाएगा;

(च) "मॉडल या मॉडल के परिवार" का अर्थ किसी विशेष ब्रांड के मॉडल या मॉडल की श्रेणी से है, जिसके लिए परीक्षण रिपोर्टों का एक सेट लागू होता है और जहां प्रत्येक मॉडल में समान भौतिक विशेषताएं, वार्षिक ऊर्जा खपत, ऊर्जा दक्षता रेटिंग और प्रदर्शन विशेषताएं होती हैं;

(छ) "अनुज्ञाधारक" का अर्थ है कोई व्यक्ति या एजेंसी, जिसे विनियम 7 के अंतर्गत लेबल लगाने की अनुमति दी गई है;

(ज) "स्टार रेटिंग या स्टार स्तर" का अर्थ यूएचडी टेलीविजन के लेबल पर प्रदर्शित ऊर्जा दक्षता का ग्रेड है जो यूएचडी टेलीविजनों के वार्षिक ऊर्जा प्रदर्शन को दर्शाने के लिए अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ऊर्जा खपत मानक पर आधारित है;

(झ) किसी भी लेबल वाले यूएचडी टेलीविजन के संबंध में "व्यापारी या विक्रेता" का अर्थ उस व्यक्ति से है जो ऐसे किसी भी यूएचडी टेलीविजन को बेचता या वितरित करता है और इसमें दुकानदार, व्यापारी, निर्माता और अनुज्ञाधारक शामिल हैं जिन्हें ऐसे यूएचडी टेलीविजन पर लेबल लगाने की अनुमति दी गई है।

(2) यहां प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन अधिनियम में परिभाषित किया गया है, का अर्थ क्रमशः अधिनियम में दिया गया अर्थ होगा।

3. लेबल पर प्रदर्शित किए जाने वाले विवरण- (1) प्रत्येक यूएचडी टेलीविजन के लेबल पर निम्नलिखित विवरण प्रदर्शित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(क) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का लोगो;

(ख) उपकरण;

(ग) प्रकार;

(घ) मेक/निर्माता/आयातक;

(ङ) मॉडल संख्या और निर्माण या आयात का वर्ष;

(च) स्क्रीन का आकार सेंटीमीटर में (स्क्रीन का आकार पूरी स्क्रीन पर सेंटीमीटर में तिरछे मापा जाता है);

(छ) वार्षिक ऊर्जा खपत प्रति वर्ष कि. वॉट घंटा में;

(ज) विशिष्ट श्रृंखला कोड

(झ) स्टार का स्तर; और

(ञ) लेबल अवधि;

(2) लेबल का डिजाइन, रंग, आकार और सामग्री इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसार होगी।

4. लेबल प्रदर्शित करने की समय-सीमा - (1) विनियम 3 में निर्दिष्ट सभी विवरणों वाला एक लेबल प्रत्येक यूएचडी टेलीविजन पर इन विनियमों के लागू होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर प्रदर्शित किया जाएगा।

(2) अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित संशोधित ऊर्जा खपत मानकों के शुरू होने पर, प्रत्येक अनुज्ञाधारक या व्यापारी या विक्रेता -

(क) पिछले ऊर्जा खपत मानकों के साथ यूएचडी टेलीविजन का उत्पादन नहीं करेगा।

(ख) संशोधित ऊर्जा खपत मानकों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए यूएचडी टेलीविजन पर संशोधित स्टार स्तर और संशोधित लेबल अवधि प्रदर्शित करेगा तथा यूएचडी टेलीविजन का विनिर्माण वर्ष भी प्रदर्शित करेगा।

(ग) इन विनियमों के अंतर्गत डीलरों, खुदरा विक्रेताओं के बारे में जागरूकता, उनकी जानकारी के साथ-साथ उपभोक्ताओं की जानकारी के लिए उठाए गए सभी कदम सुनियोजित तथा पूर्वनिर्धारित होंगे।

5. लेबल प्रदर्शित करने का तरीका - (1) लेबल को यूनिट के सामने के हिस्से पर चिपकाया जाएगा और यह विनियम 3 के उप-विनियम (2) में निर्दिष्ट अनुसार आसानी से दिखाई देना चाहिए तथा अनुज्ञाधारक यह सुनिश्चित करेगा कि लेबल प्रत्येक पंजीकृत यूनिट या मॉडल पर पहचान के उद्देश्य के लिए बिक्री स्थल या हायर स्थल पर दिखाई दे और लेबल को यूनिट या मॉडल के आवरण के बाहरी हिस्से पर भी मुद्रित किया जाएगा या चिपकाया जाएगा।

(2) प्रदर्शित न की जाने वाली यूनिटों के लिए, लेबल को यूएचडी टेलीविजन के आवरण के बाहरी हिस्से से जोड़ा जा सकता है और यूनिट को उसकी पैकेजिंग से निकाले जाने पर लेबल को यूनिट से जोड़ा जा सकता है या लेबल को ग्राहक या उपयोगकर्ता को दिए गए दस्तावेज़ के एक भाग के रूप में शामिल किया जा सकता है।

6. लेबल प्रदर्शित करने की अनुमति - (1) ब्यूरो की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना यूएचडी टेलीविजन पर कोई स्टार लेबल नहीं लगाया जाएगा।

(2) कंपनी पंजीकरण - ब्यूरो की अनुमति प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए, प्रत्येक ब्रांड को अलग से पंजीकृत किया जाएगा जैसा कि फॉर्म I-(क) में निर्दिष्ट है, जिसके साथ इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली द्वारा देय एक लाख रुपए का लेबल सुरक्षा शुल्क संलग्न होगा।

बशर्ते कि लघु उद्योग के मामले में, लेबल सुरक्षा शुल्क केवल पच्चीस हजार रुपए होगा।

(3) मॉडल पंजीकरण - उप-विनियम (2) के अंतर्गत अनुज्ञाधारक के प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न होगा -

(क) प्रति मॉडल दो हजार रुपए का आवेदन शुल्क, जो इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा देय होगा; और

(ख) फॉर्म I - (ख) में निर्दिष्ट दस्तावेज।

7. अनुमति प्रदान करना - (1) विनियम 6 के अंतर्गत कोई आवेदन प्राप्त होने पर और इस बात से संतुष्ट होने पर कि सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है, ब्यूरो विनियम 8 में निर्दिष्ट निबंधन एवं शर्तों के अधीन मानकों और लेबलिंग पर अपने मैनुअल में निर्दिष्ट अवधि के भीतर दिशा (घरेलू उपकरणों में स्टार लेबलिंग का प्रसार), -

(क) फॉर्म II-(क) या इलेक्ट्रॉनिक रूप में ब्रांड को पंजीकृत कर सकता है; और

(ख) यूएचडी टेलीविजन पर फॉर्म II-(ख) में इलेक्ट्रॉनिक रूप में लेबल लगाने की अनुमति दे सकता है।

(2) ब्यूरो फॉर्म III में एक रजिस्टर रखेगा और उसमें अनुज्ञाधारक का नाम दर्ज करेगा।

(3) उप-विनियम (1) के अंतर्गत दी गई अनुमति उस अवधि तक के लिए वैध होगी जिसके लिए धारा 14 के खंड (क) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसार ऊर्जा खपत मानक द्वारा निर्दिष्ट स्टार स्तर लागू है।

(4) अनुज्ञाधारक द्वारा अनुमति के नवीनीकरण के लिए आवेदन इसकी समाप्ति के एक माह पहले किया जाना चाहिए और इसके शुल्क के रूप में एक हजार रुपए इलेक्ट्रॉनिक मोड में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के पक्ष में देय होगा।

स्टार रेटिंग योजना के विस्तार के मामले में, एक हजार रुपए के उक्त नवीनीकरण शुल्क से छूट दी जाएगी।

(5) उप-विनियम (4) के अंतर्गत नवीनीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने पर और इस बात से संतुष्ट होने पर कि सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है, ब्यूरो, ऐसी प्राप्ति की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर, फॉर्म II में अनुमति को नवीनीकृत कर सकता है।

- (6) जिस तारीख से संशोधित स्टार स्तर लागू होता है, उस तारीख से यूएचडी टेलीविजन के मौजूदा मॉडल पर लेबल लगाना जारी रखने की अनुमति मांगने वाला अनुज्ञाधारक फॉर्म IV के अनुसार एक घोषणा प्रस्तुत करेगा।
- (7) यदि यूएचडी टेलीविजन के नए मॉडल को संशोधित स्टार स्तर के साथ सिंक्रोनाइज़ करते हुए लॉन्च किया जाना है, तो अनुज्ञाधारक को नए सिरे से लेबल लगाने की अनुमति लेनी होगी, और इस तरह की अनुमति के लिए आवेदन संशोधित स्टार स्तर लागू होने से छह महीने पहले किया जाएगा।

8. लेबल पर विवरण प्रदर्शित करने के लिए निबंधन एवं शर्तें - प्रत्येक अनुज्ञाधारक, व्यापारी और विक्रेता लेबल पर विवरण प्रदर्शित करने में निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों का पालन करेंगे, अर्थात्:-

- (क) यूएचडी टेलीविजन के लेबल पर प्रदर्शित स्टार स्तर अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित यूएचडी टेलीविजन के लिए ऊर्जा खपत मानकों के अनुरूप होगा;
- (ख) लेबल केवल यूएचडी टेलीविजन के ऐसे मॉडल पर चिपकाया जाएगा जिसके लिए अनुमति दी गई है;
- (ग) लेबल को अनुज्ञाधारक के खर्च पर यूएचडी टेलीविजन पर मुद्रित और चिपकाया जाएगा;
- (घ) अनुज्ञाधारक, व्यापारी और विक्रेता यह सुनिश्चित करेंगे कि यूएचडी टेलीविजन के लेबल पर प्रदर्शित स्टार स्तर हर समय बनाए रखा जाएगा;
- (ङ) अनुज्ञाधारक विनियम 9 में विनिर्दिष्ट लेबल शुल्क का भुगतान करेगा;
- (च) अनुज्ञाधारक वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के अगले महीने के भीतर ब्यूरो को एक विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें लेबल किए गए उपकरण के उत्पादन और प्रत्येक तिमाही के लिए अर्जित लेबलिंग शुल्क का विवरण होगा;
- (छ) अनुज्ञाधारक प्रत्येक वर्ष अप्रैल के 30^{वां} दिन तक अपने लेबल वाले उत्पादों को बेचने के लिए नियुक्त अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर, डीलरों, खुदरा विक्रेताओं, विक्रेताओं की एक अद्यतन सूची ब्यूरो को प्रस्तुत करेगा;
- (ज) अनुज्ञाधारक, व्यापारी और विक्रेता ऐसी अन्य निबंधन एवं शर्तों का पालन करेंगे जिन्हें ब्यूरो निर्दिष्ट कर सकता है, जिसमें मानकों और लेबलिंग पर ब्यूरो की नियमावली, अर्थात् दिशा (घरेलू उपकरण में स्टार लेबलिंग का प्रसार) में शामिल है।

9. लेबल शुल्क- (1) प्रत्येक अनुज्ञाधारक को यूएचडी टेलीविजन पर चिपकाए गए प्रत्येक लेबल के लिए ब्यूरो को तीस रुपए का लेबल शुल्क देना होगा;

(2) उप-विनियम (1) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेबल शुल्क का भुगतान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समाप्त होने की तारीख से एक महीने के भीतर वार्षिक रूप से किया जाएगा:

बशर्ते कि इस प्रकार निर्दिष्ट अवधि के भीतर लेबल शुल्क का भुगतान करने में विफल होने पर, ब्यूरो विनियम 6 के उप-विनियम (3) के खंड (ख) के अंतर्गत जमा की गई लेबल सुरक्षा राशि से दस प्रतिशत प्रति वर्ष व्याज के साथ देय राशि की वसूली कर सकता है और यदि जमा करने की अंतिम तिथि के एक वर्ष के भीतर पूर्ण लेबलिंग शुल्क की वसूली नहीं की जाती है, तो ब्यूरो अनुज्ञाधारक को दिए गए सभी लेबलों को रद्द कर सकता है और एक चूककर्ता के रूप में समाचार-पत्रों में अनुज्ञाधारक का नाम प्रकाशित कर सकता है।

10. लेबल सुरक्षा जमा राशि की वापसी - विनियम 9 के उप-विनियम (2) के प्रावधानों के अधीन, यूएचडी टेलीविजन का विनिर्माण बंद करने पर अनुज्ञाधारक लेबल सुरक्षा शुल्क की वापसी का पात्र होगा।

11. ब्यूरो द्वारा सत्यापन - (1) ब्यूरो या तो स्वतः संज्ञान लेते हुए या उसके द्वारा प्राप्त शिकायत पर यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन कर सकता है कि यूएचडी टेलीविजन, स्टार स्तर और उसके लेबल पर प्रदर्शित अन्य विवरणों के अनुरूप है और यह कि यह अनुमति की अन्य निबंधन एवं शर्तों का अनुपालन करता है।

(2) सत्यापन के प्रयोजन के लिए, नमूने को ब्यूरो या उसकी नामित एजेंसी द्वारा, जैसा वह उचित समझे, विनिर्माण सुविधा केंद्र, गोदाम या खुदरा बिक्री केंद्र से यादृच्छिक रूप से लिया जाएगा।

(3) जहां, उप-विनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त शिकायत पर, ब्यूरो को परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा विधिवत मान्यता-प्राप्त एक स्वतंत्र प्रयोगशाला में कमरे के यूएचडी टेलीविजन का परीक्षण करके सत्यापन करना

आवश्यक है, और इस तरह का परीक्षण करने के लिए फॉर्म V में अनुज्ञाधारक को एक नोटिस जारी किया जाएगा और शिकायतकर्ता को नमूना लागत, परीक्षण, परिवहन और अन्य आकस्मिक खर्चों से संबंधित ऐसे खर्चों को ब्यूरो को ऐसी समयावधि, जैसा कि ब्यूरो द्वारा निर्धारित की जाएगी, जमा करने के लिए कहा जाएगा, और यदि चुनौती परीक्षण के अंतर्गत लिया गया नमूना विफल हो जाता है, तो निर्दिष्ट सभी खर्चों की प्रतिपूर्ति ब्यूरो को अनुज्ञाधारक द्वारा की जाएगी और ब्यूरो शिकायतकर्ता को उपर्युक्त खर्च वापस कर देगा; और जहां उपकरण चुनौती परीक्षण पास करता है, तो शिकायतकर्ता द्वारा जमा किए गए खर्च को जब्त कर लिया जाएगा।

(4) जहां परीक्षण के लिए उपयोग किए गए यूएचडी टेलिविजन का कोई नमूना स्वतः परीक्षण या चुनौती दिए गए परीक्षण के दौरान परीक्षण में विफल रहता है, वहां ब्यूरो अनुज्ञाधारक को एक और अवसर प्रदान करेगा तथा ब्यूरो किसी स्वतंत्र परीक्षण प्रयोगशाला में पहले परीक्षण में उपयोग किए गए यूएचडी टेलिविजन की दोगुनी मात्रा के साथ दूसरा परीक्षण करेगा, जो उस प्रयोगशाला से अलग है जहां पहला जांच परीक्षण किया गया था और यह अनुज्ञाधारक के खर्च पर राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड द्वारा विधिवत मान्यता-प्राप्त होगा। ब्यूरो उप-विनियम (3) में उल्लिखित चुनौती परीक्षण या उप-विनियम (4) में उल्लिखित दूसरे परीक्षण तथा नमूने की खरीद और परीक्षण पर किए जाने वाले व्यय को देखने के लिए फॉर्म V में अनुज्ञाधारक को सूचित करेगा।

(5) जहां दूसरा परीक्षण विफल हो जाता है, वहां ब्यूरो -

(क) सभी राज्य विनिर्दिष्ट एजेंसियों को अवगत कराते हुए फॉर्म VI में अनुज्ञाधारक को निर्देश देगा कि वह दो महीने की अवधि के भीतर, -

- (i) यूएचडी टेलिविजन के लेबल पर प्रदर्शित स्टार लेवल को ठीक करे या परीक्षण के दौरान पाई गई कमियों और दोषों को दूर करे;
- (ii) ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के लिए बाजार से सभी स्टॉक वापस ले लें;
- (iii) विज्ञापन सामग्री पर प्रदर्शित विवरणों को बदल दे।

(ख) उपभोक्ताओं के लाभ के लिए, दो महीने के भीतर किसी भी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दैनिक समाचार-पत्र में और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य तरीके से, जैसा वह उचित समझे, किसी भी अनुज्ञाधारक का नाम, ब्रांड नाम, मॉडल नाम या मॉडल नंबर, लोगो और अन्य विनिर्देश प्रकाशित करें;

(ग) संबंधित राज्य विनिर्दिष्ट एजेंसी को अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अनुज्ञाधारक और व्यापारी के खिलाफ न्यायिक कार्यवाही शुरू करने के लिए सूचित करें।

(6) अनुज्ञाधारक, उप-विनियम (5) में निर्दिष्ट दो माह की अवधि के समापन के दस दिनों के भीतर, -

(क) निर्देश के अनुपालन में की गई कार्रवाई के संबंध में प्रपत्र VII में अनुपालन रिपोर्ट ब्यूरो को भेजेगा।

(ख) यदि खंड (क) में निर्दिष्ट अनुपालन रिपोर्ट निर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी भी निर्देश का पालन किए बिना प्राप्त या प्राप्त नहीं होती है, तो इसे जारी किए गए निर्देश का अनुपालन नहीं माना जाएगा और इस संबंध में आदेश ब्यूरो द्वारा पारित किया जाएगा।

(7) ब्यूरो खंड (क) में संदर्भित अनुपालन रिपोर्ट और उप-विनियम (6) के खंड (ख) में पारित आदेशों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ सभी राज्य नामित एजेंसियों को धारा 17 और उक्त उप-विनियम के खंड (ख) के अंतर्गत पारित आदेश को लागू करने के अंतर्गत कार्रवाई करने के उद्देश्य से भेजेगा।

(8) जहां अनुज्ञाधारक उप-विनियम (5) के अंतर्गत ब्यूरो द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, वहां ब्यूरो सभी राज्य नामित एजेंसियों को निम्नलिखित की सूचना देगा, -

(क) विनियम 7 के उप-विनियम (1) के अंतर्गत अनुज्ञाधारक को दी गई अनुमति को वापस लेगा;

(ख) अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ऊर्जा खपत मानकों के अनुरूप अनुज्ञाधारक द्वारा विफलता के समर्थन में परीक्षण रिपोर्ट के साथ केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजेगा, केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 14 के खंड (ग) के अंतर्गत विचार करने और कार्रवाई करने के लिए उप-विनियम (6) का खंड (क) के अंतर्गत ब्यूरो के निर्देश संदर्भित हैं;

- (ग) उपभोक्ताओं के लाभ के लिए, दो महीने के भीतर किसी भी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दैनिक समाचार-पत्र में और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य तरीके से, जैसा वह उचित समझे, किसी भी अनुज्ञाधारक का नाम, ब्रांड नाम, मॉडल नाम या मॉडल नंबर, लोगो और अन्य विनिर्देश प्रकाशित करेगा;
- (घ) अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अनुज्ञाधारक और व्यापारी के खिलाफ आगे की न्यायिक कार्यवाही शुरू करने के लिए संबंधित राज्य विनिर्दिष्ट एजेंसियों को सूचित करेगा।

12. अनुमति रद्द करना - ब्यूरो विनियम 7 के अंतर्गत दी गई अनुमति को रद्द कर सकता है, यदि अनुज्ञाधारक -

- (क) विनियम 8 के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी भी निबंधन एवं शर्त का पालन करने में विफल रहता है;
- (ख) विनियम 9 के अंतर्गत निर्दिष्ट अवधि के भीतर लेबल शुल्क का भुगतान करने में विफल रहता है;
- (ग) विनियम 11 के अंतर्गत जारी निर्देशों का पालन नहीं करता है।

अभय बाकरे, महानिदेशक

[विज्ञापन III/4/असा./205/2022-23]

अनुसूची
[विनियम 3 (2) देखें]

यूएचडी टेलीविजन के लेबल पर प्रदर्शित किए जाने वाले विवरण।

(1.) लेबल डिजाइन

(i) आयाम:

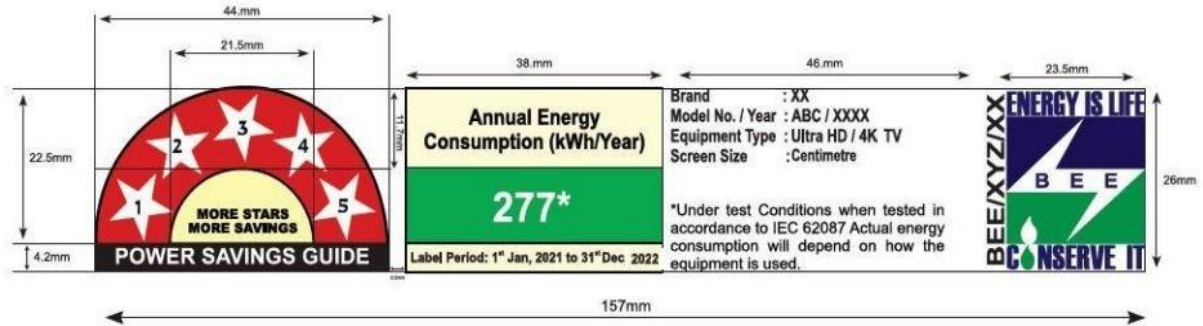


Figure 1: Dimensions for UHD TV Star Label

(ii) रंग योजना:

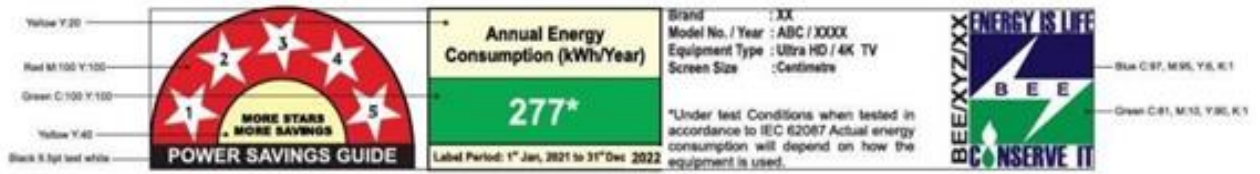


Figure 2: Colour scheme for UHD TV Star Label

(iii) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो लोगो की रंग योजना:

नीला -

ह्यू (एच) -239o सेचुरेशन (एस): 64% चमक (बी): 59%

प्रकाश या हल्कापन (एल):28, रंगीन घटक -ए:24 बी:54

लाल (आर):54 हरा (जी):55 नीला (बी):151

सियान (सी):97% मैजेंटा (एम):95% पीला (वाई):6% काला (के):1%

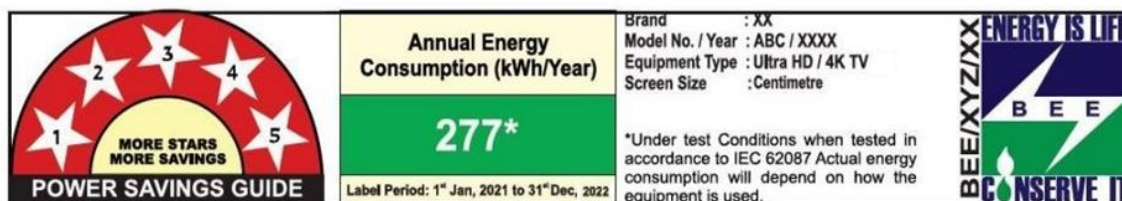
वेब रंग कोड - #363797

हरा -

ह्यू (एच) -150o सेचुरेशन (एस):10% चमक (बी):67%

प्रकाश या हल्कापन (एल):61, रंगीन घटक-ए:-53 बी:32
 लाल (आर):0 हरा (जी):170 नीला (बी):87
 सियान (सी):81% मैजेंटा (एम):10% पीला (वाई):90% काला (के):1%
 वेब रंग कोड - #00AA56;

iv) यूएचडी टेलीविजन के लिए मुद्रित लेबल का पूरा नमूना:



(2) लेबल सामग्री

लेबल टिकाऊ कार्डबोर्ड से निर्मित होगा, यदि इसे लटकते टैग के रूप में जोड़ा जाना है, या स्वयं चिपकने वाला हो और लेबल के लिए आयाम डिजाइन योजना में दिखाई गई आउटलाइन में से किसी एक को काटा जाएगा।

फॉर्म I - (क)

[विनियम 6(2) देखें]

(कंपनी के पत्र-शीर्ष पर मुद्रित किया जाए)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (यूएचडी टेलीविजन के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और तरीका) विनियम, 2022 के अंतर्गत यूएचडी टेलीविजन के ब्रांड के पंजीकरण के लिए आवेदन

महानिदेशक

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो,

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)

चौथी मंजिल, सेवा भवन,

सेक्टर-I, आर.के. पुरम,

नई दिल्ली - 110066

भारत।

1. मैं/हम यूएचडी टेलीविजन के निर्माता हूँ/हैं जो.....शैली के अंतर्गत..... (व्यक्ति या फर्म का पूरा नाम) के अंतर्गत.....(पूरा व्यावसायिक पता) कारोबार कर रहा/रहे हूँ/हैं, एतद्वारा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (यूएचडी टेलीविजन पर लेबल के उनके प्रदर्शन के विवरण और तरीके) विनियम, 2022 में ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट अनुसार यूएचडी टेलीविजन पर लेबल लगाने की अनुमति के लिए आवेदन करता/करते हूँ/हैं।
2. उपकरण, कंपनी, विनिर्माण सुविधा और भुगतान के संबंध में जानकारी का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है। फर्म या सोसायटी के रजिस्ट्रार या उद्योग निदेशक (छोटे स्तर की यूनिटों के मामले में) द्वारा जारी किए गए निगमन प्रमाण-पत्र की एक फोटोकॉपी या फर्म और उसके विनिर्माण परिसर के नाम को प्रमाणित करने वाले इसी तरह के अन्य दस्तावेज संलग्न हैं।

(क) आवेदक/अधिकृत व्यक्ति: (नाम और पदनाम) कंपनी/फर्म या अन्य प्राधिकारियों की ओर से इस आवेदन को करने के लिए अधिकृत है और इस आवेदन के साथ दी गई जानकारी की सटीकता के लिए जिम्मेदार होगा।

(ख) संपर्क व्यक्ति:..... (नाम और पदनाम) इस आवेदन और लेबल के उपयोग के संबंध में ब्यूरो के साथ समन्वय करने के लिए संपर्क व्यक्ति के रूप में अधिकृत है।

(क) मैं/हम ऊपर (क) या (ख) में परिभाषित अधिकृत व्यक्तियों में कोई भी परिवर्तन होने पर ब्यूरो को सूचित करने का वचन देता हूँ/हैं।

उक्त उपकरण के उत्पादन और बिक्री के आंकड़े तथा मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और अनुमान के अनुसार इनका मूल्य इस प्रकार है:

वर्ष	उत्पादन	बिक्री	उपकरण का अधिकतम खुदरा मूल्य (रु.)
पिछले वर्ष.....सेतक			
चालू वर्षसेतक (अनुमान)			

1. एक लाख रुपए या पच्चीस हजार रुपए, जैसा भी मामला हो, के लेबल सुरक्षा शुल्क का भुगतान दिनांक.....के डिमांड ड्राफ्ट सं...../इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा (केवल लेबल सुरक्षा शुल्क जमा करने के समय ही भरा जाए) किया गया है।
2. मैं/हम ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट अनुसार लेबलिंग शुल्क का भुगतान करने के लिए सहमत हूँ/हैं।
3. मैं/हम ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट सभी निबंधन एवं शर्तों का पालन करने और ब्यूरो द्वारा की जाने वाली किसी भी जांच के मामले में आवश्यक सहायता/ सहयोग करने के लिए सहमत हूँ/हैं।
4. मैं/हम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को सत्यापन और चुनौती परीक्षण के लिए नमूने का चयन करने हेतु अधिकृत करते हैं और इस संबंध में ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।
5. मैं/हम वचन देता/देते हूँ/हैं कि इस आवेदन में दी गई सूचना मेरी जानकारी के अनुसार सही है, और यदि प्रदान की गई कोई भी सूचना गलत पाई जाती है; तो आवेदन को तत्काल खारिज किया जा सकता है।

.....दिन.....माह.....(वर्ष) को हस्ताक्षरित

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम.....

..... के लिए और उनकी ओर से

(फर्म का नाम)

फर्म की मुहर

अनुलग्नक

[फार्म I-(क) का पैरा 2 देखें]

1. कंपनी का विवरण

कंपनी का नाम	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
फ़ोन नंबर	
फैक्स नंबर	
ई-मेल	
वेबसाइट	
पंजीकरण के समर्थन में संलग्नक:	हां/ नहीं
(क) विनिर्माण या व्यवसाय परिसर के नाम और पते को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज़	
(ख) ट्रेड मार्क प्रमाण-पत्र	
(ग) लघु उद्योग प्रमाणपत्र, यदि लागू हो	

(घ) गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणपत्र	
(ड.) अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता पत्र	
(च) भारतीय मानक लाइसेंस ब्यूरो, यदि लागू हो	
(छ) डिमांड ड्राफ्ट (सुरक्षा जमा)/ ऑनलाइन भुगतान किए जाने की स्थिति में भुगतान रसीद	

2. विनिर्माण परिसर का विवरण (एक से अधिक विनिर्माण सुविधाओं के मामले में एक अलग तालिका प्रदान की जाए)

विनिर्माण सुविधा का नाम	
पता	
पिन कोड	
राज्य/ देश	
फ़ोन नंबर	
फैक्स नंबर	
ई-मेल	
वेबसाइट	
कोई अन्य विवरण (यदि कोई हो)	

दिनांक हस्ताक्षर

नाम.....

पदनाम.....

.....के लिए और उनकी ओर से

(फर्म का नाम)/ फर्म की मुहर

फॉर्म I - (ख)

[विनियम 6 देखें]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (यूएचडी टेलीविजन के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और तरीका) विनियम, 2022 के अंतर्गत यूएचडी टेलीविजन पर लेबल लगाने की अनुमति के लिए आवेदन

महानिदेशक

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो,

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)

चौथी मंजिल, सेवा भवन,

सेक्टर-I, आर.के. पुरम,

नई दिल्ली - 110066

भारत

1. मैं/हम यूएचडी टेलीविजन के पंजीकृत निर्माता या आयातक हैं जो (व्यक्ति या फर्म का पूरा नाम) की शैली के अंतर्गत.....(पूर्ण व्यावसायिक पता) पर कारोबार कर रहे हैं, एतद्वारा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (विवरण और यूएचडी टेलीविजन पर उनके लेबल के प्रदर्शन का तरीका) विनियम, 2022 द्वारा निर्दिष्ट अनुसार यूएचडी टेलीविजन पर लेबल लगाने की अनुमति के लिए आवेदन करते हैं।
2. विनिर्माण सुविधा: उपर्युक्त उपकरण(कंपनी का नाम) द्वारा निर्मित या आयात किया जाता है और (कारखाने का नाम और पता) पर निर्मित होता है।
3. सूचना का विवरण: उपकरण, कंपनी, विनिर्माण सुविधा, परीक्षण उत्पादों के लिए प्रमाणन, लेबल और भुगतान के संबंध में जानकारी का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है। फर्मों के रजिस्ट्रार या सोसायटी/उद्योग निदेशक (लघु उद्योग इकाइयों के मामले में) द्वारा जारी किए गए निगमन प्रमाण-पत्र की एक फोटोप्रति या फर्म और उसके

निर्माण परिसर के नाम को प्रमाणित करने वाले इसी तरह के अन्य दस्तावेज संलग्न हैं।

- (क) आवेदक/ अधिकृत व्यक्ति:(नाम और पदनाम) कंपनी/ फर्म/ आदि की ओर से इस आवेदन को करने के लिए अधिकृत है, और वह इस आवेदन के साथ दी गई जानकारी के संबंध में सटीकता और प्रामाणिकता के लिए जिम्मेदार होगा।
- (ख) संपर्क व्यक्ति: (नाम और पदनाम) इस आवेदन और लेबल के उपयोग के संबंध में ब्यूरो के साथ समन्वय के लिए अधिकृत संपर्क व्यक्ति है।
- (ग) मैं/हम उपर्युक्त (क) या (ख) में परिभाषित अधिकृत व्यक्तियों में किसी भी बदलाव के बारे में ब्यूरो को सूचित करने का वचन देते हैं।

4. मानकों से अनुरूपता: मैं/हम(उपकरण का नाम) के लिए..... (अधिसूचना का शीर्षक) की अधिसूचना में निर्दिष्ट अनुसार.....भारतीय मानक/अन्य (मानक का नाम और संख्या) के अनुसार गुणवत्ता प्रणाली/अन्य मानक के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो/अन्य अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करता/करते हूँ/हैं।

मैंने/हमने अपनी/हमारी आंतरिक प्रयोगशाला.....में या राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड की मान्यता-प्राप्त प्रयोगशाला.....(प्रयोगशाला का नाम और पता) में जांच के लिए परीक्षण की व्यवस्था की है ताकि उपकरणों की गुणवत्ता को बनाए रखा जा सके।

स्वतंत्र प्रयोगशाला विवरण:

- (क) परीक्षण विवरण (परीक्षण प्रक्रिया/ नाम/ संख्या)
- (ख) प्रत्यायन स्थिति:
- (ग) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का अनुमोदन:

5. उक्त उपकरण के उत्पादन और बिक्री के आंकड़े और मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और अनुमान के अनुसार उनका मूल्य निम्नानुसार है:

वर्ष	उत्पादन	बिक्री	उपकरण की एमआरपी (रु.)
_____ से _____ तक अंतिम वर्ष			
_____ से _____ तक वर्तमान वर्ष (अनुमान)			

6. (क) इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा भुगतान किए गए दो हजार रुपए का आवेदन शुल्क।
(ख) एक लाख रुपए या पच्चीस हजार रुपए के लेबल सुरक्षा शुल्क का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा किया गया है।
(ग) मैं/हम ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट लेबलिंग शुल्क का भुगतान करने के लिए सहमत हैं।
7. मैं/हम ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट अनुसार सभी निबंधन एवं शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं और ब्यूरो द्वारा की जाने वाली किसी भी जांच के मामले में उसे आवश्यक सहायता/सहयोग प्रदान करूंगा/करेंगे।
8. मैं/हम ब्यूरो को सत्यापन और चुनौती परीक्षण के लिए नमूने का चयन करने हेतु अधिकृत करता/करते हूँ/हैं और इस संबंध में ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।
9. मैं/हम वचन देते हैं कि इस आवेदन में दी गई सूचना मेरी जानकारी के अनुसार सही है, और यदि प्रदान की गई कोई भी सूचना गलत पाई जाती है; तो आवेदन को तत्काल रद्द किया जा सकता है।

[illegible]

2. परीक्षण प्रयोगशाला का विवरण

परीक्षण प्रयोगशाला का नाम	
प्रत्यायन स्थिति (i) प्रयोगशाला के लिए (ii) प्रासंगिक मानकों के लिए (मान्यता प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें)	हां/नहीं
मान्यता की वैधता (इसके समर्थन में दस्तावेज संलग्न करें)	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
फोन नं.	
फैक्स नं.	
ईमेल	
वेबसाइट	

3. लेबलिंग सूचना

प्रारंभ होने की तिथि	
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के लिए लागू लेबलों की संख्या क) पहले वर्ष के लिए – ख) दूसरे वर्ष के लिए – ग) तीसरे वर्ष के लिए – उत्पाद क्र.सं.	
	_____ से _____ तक

4. नमूना विवरण:

मॉडल या मॉडल का परिवार (यदि लागू हो)	मॉडल का नाम/ मॉडल नं.
मूल मॉडल	
लघु मॉडल	

5. यूएचडी टेलीविजन पर चिपकाए जाने वाले लेबल का नमूना नीचे दर्शाया गया है:
[मॉडलों के परिवार (यदि लागू हो) के लिए अलग नमूना संलग्न करें]



दिनांक

हस्ताक्षर

नाम.....

पदनाम.....

.....के लिए और उनकी ओर से

फॉर्म II - (क)

[विनियम 7(1)(क) देखें]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (यूएचडी टेलीविजन के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और तरीका) विनियम, 2022 के अंतर्गत
यूएचडी टेलीविजन के ब्रांड के पंजीकरण के लिए अनुमति

नई दिल्ली, दिनांक.....

सेवा में

.....
.....
.....

1. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (यूएचडी टेलीविजन के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और तरीका) विनियम, 2022 के विनियम 7 के प्रावधानों के अनुसार, ब्यूरो एतद्वारा एतद्वारा इस पत्र के अनुलग्नक में निर्धारित अनुमोदन के विवरण के अनुसार अपने ब्रांड को पंजीकृत करने की अनुमति देता है।
2. यह अनुमति निम्नलिखित के अधीन है -
 - (क) यूएचडी टेलीविजन के लेबल पर प्रदर्शित स्टार स्तर अधिनियम की धारा 14 के खंड(क) के अंतर्गत अधिसूचित यूएचडी टेलीविजन के ऊर्जा खपत मानकों और उपर्युक्त विनियमों में प्रदान की गई निबंधन एवं शर्तों के अनुरूप होगा;
 - (ख) यूएचडी टेलीविजन के केवल ऐसे मॉडल पर लेबल चिपकाया जाएगा जिसके लिए अनुमति दी गई है;
 - (ग) अनुज्ञाधारक के खर्च पर यूएचडी टेलीविजन पर लेबल की छपाई की जाएगी और चिपकाया जाएगा;
 - (घ) अनुज्ञाधारक यह सुनिश्चित करेगा कि यूएचडी टेलीविजन पर प्रदर्शित स्टार स्तर को हर समय बनाए रखा जाएगा;
 - (ङ) अनुज्ञाधारक ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट अनुसार लेबल शुल्क का भुगतान करेगा;
 - (च) अनुज्ञाधारक वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के अगले महीने के भीतर प्रत्येक तिमाही के लिए देय लेबल उपकरण और उस पर अर्जित लेबलिंग शुल्क का विवरण ब्यूरो को प्रस्तुत करेगा। यही विवरण स्वचालित प्रणाली के माध्यम से ब्यूरो को भी भेजे जाएंगे;
 - (छ) अनुज्ञाधारक ब्यूरो द्वारा जब भी मांगा जाए, यूएचडी टेलीविजन के ऐसे अन्य विवरण भी उपलब्ध कराएगा जिसके लिए अनुमति दी गई है।
3. अनुज्ञाधारक ब्यूरो की पूर्व अनुमति को छोड़कर, वैधता अवधि के दौरान बाजार से पंजीकृत ब्रांड और यूएचडी टेलीविजन को वापस नहीं लेगा।
4. ब्रांड के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट विशिष्ट लेबल श्रृंखला कोड.....है और अनुमोदित डिजाइन के अनुसार यह लेबल पर प्रदर्शित होना चाहिए।
5. आज.....दिन..... माह..... वर्ष को इस पर हस्ताक्षर किए गए और मुहर लगाई गई।

भवदीय

(सचिव) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

अनुलग्नक
[फॉर्म II-(क) का पैरा 1 देखें]
अनुमोदनों का विवरण

कंपनी का नाम	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
फ़ोन नं.	
फैक्स नं.	
ई-मेल	
वेबसाइट	

1. पंजीकृत ब्रांड का नाम:
2. विशिष्ट श्रृंखला कोड:
3. अन्य विवरण (यदि लागू हो):

दिनांक.....

भवदीय

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

फॉर्म II - (ख)
[विनियम 7(1)(ख) देखें]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (यूएचडी टेलीविजन के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और तरीका) विनियम, 2022 के अंतर्गत यूएचडी टेलीविजन पर लेबल लगाने की अनुमति/ नवीनीकरण

नई दिल्ली, दिनांक.....

सेवा में

.....

1. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (यूएचडी टेलीविजन के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और तरीका) विनियम, 2022 के विनियम 7 के प्रावधानों के अनुसार, ब्यूरो इस पत्र के अनुलग्नक में निर्धारित अनुमोदनों के विवरण के अनुसार आपको लेबल लगाने की अनुमति प्रदान करता है।
2. यह अनुमति इस शर्त के अधीन है कि -
 - (क) यूएचडी टेलीविजन के लेबल पर प्रदर्शित स्टार स्तर अधिनियम की धारा 14 के खंड(क) के अंतर्गत अधिसूचित यूएचडी टेलीविजन के लिए ऊर्जा खपत मानक और उपर्युक्त विनियम में प्रदान की गई निबंधन एवं शर्तों के अनुरूप होगा;
 - (ख) लेबल केवल यूएचडी टेलीविजन के ऐसे मॉडल पर चिपकाया जाएगा जिसके लिए अनुमति दी गई है;

- (ग) लेबल को अनुज्ञाधारक के खर्च पर यूएचडी टेलीविजन पर मुद्रित या चिपकाया जाएगा;;
- (घ) अनुज्ञाधारक यह सुनिश्चित करेगा कि यूएचडी टेलीविजन पर प्रदर्शित स्टार स्तर हर समय बनाए रखा जाएगा;
- (ङ) अनुज्ञाधारक तीस रुपए प्रति लेबल शुल्क का भुगतान करेगा;
- (च) अनुज्ञाधारक वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के अगले महीने के भीतर ब्यूरो को एक विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें लेबल किए गए उपकरण के उत्पादन और प्रत्येक तिमाही के लिए देय उपार्जित लेबलिंग शुल्क का विवरण होगा;
- (छ) यही विवरण ब्यूरो को स्वचालित प्रणाली के माध्यम से भेजा जाएगा;
- (ज) अनुज्ञाधारक ब्यूरो द्वारा जब भी मांगा जाए, यूएचडी टेलीविजन के ऐसे अन्य विवरण भी उपलब्ध कराएगा जिसके लिए अनुमति दी गई है।
3. यह अनुमति.....से.....तक मान्य होगी और इसे निर्धारित अनुसार नवीनीकृत किया जा सकता है। अनुज्ञाधारक ब्यूरो के पूर्व अनुमोदन को छोड़कर, वैधता अवधि के दौरान यूएचडी टेलीविजन को बाजार से वापस नहीं लेगा।
4. उपकरण के लिए ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट विशिष्ट लेबल श्रृंखला कोड..... है और अनुमोदित डिजाइन के अनुसार लेबल पर दिखाई देना चाहिए।
5. जहां केंद्र सरकार द्वारा समीक्षा करके स्टार स्तर की योजनाओं को संशोधित किया जाता है, यूएचडी टेलीविजन के स्टार स्तर में निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा:-
- (क) यदि नए मॉडल को संशोधित स्टार स्तर के साथ सिंक्रोनाइज़ करते हुए लॉन्च किया जाता है, तो ऐसी अनुमति के लिए एक आवेदन ब्यूरो को उस तारीख से छह महीने पहले किया जाएगा, जब से नया स्टार स्तर लागू होता है;
- (ख) जहां मौजूदा मॉडल संशोधित स्टार स्तर को प्रभावी करना जारी रखता है, वहां केवल फॉर्म IV में एक घोषणा ब्यूरो को प्रस्तुत की जाएगी।
6. आज.....दिन..... माह.....वर्ष को इस पर हस्ताक्षर किए गए और मुहर लगाई गई।

भवदीय

(सचिव)

अनुलग्नक

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

[फॉर्म II का पैरा 1 देखें]

अनुमोदनों का विवरण

1. उपकरण का विवरण

उपकरण और प्रकार
ब्रांड का नाम
मॉडल का नाम
मॉडल का नाम/ संख्या
स्क्रीन का आकार (से.मी.)
स्क्रीन एरिया (वर्ग से.मी.)
वोल्टेज/ वोल्टेज रेंज
विनिर्माण का वर्ष

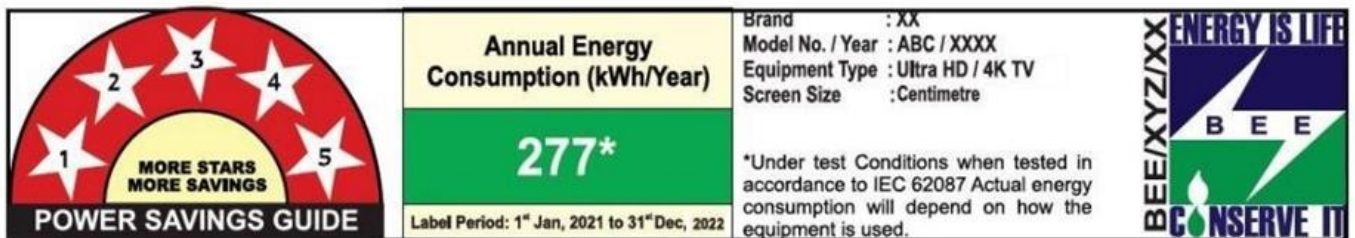
(क) तकनीकी विनिर्देश:

क्र. सं.	मॉडल का नाम/संख्या	आंका गया मूल्य				घोषित मूल्य				टिप्पणियां
		स्क्रीन का आकार (सें.मी.)	स्क्रीन एरिया (वर्ग सें.मी.)	ऊर्जा खपत (किलोवाट/वर्ष)	स्टार स्तर या आंका गया ऊर्जा दक्षता स्तर	स्क्रीन का आकार (सें.मी.)	स्क्रीन एरिया (वर्ग सें.मी.)	ऊर्जा खपत (किलोवाट/वर्ष)	स्टार स्तर या ऊर्जा दक्षता स्तर	

2. लेबल विवरण

उपकरण और प्रकार	
विनिर्माता/ आयातक/ ब्रांड का नाम	
मॉडल का नाम/ संख्या	
स्टार स्तर	
स्क्रीन का आकार	
स्क्रीन एरिया	
विनिर्माण का वर्ष	
ऊर्जा खपत (कि.वाटघंटा/वर्ष)	
विशिष्ट श्रृंखला कोड	
लेबल अवधि	

3. लेबल डिजाइन, आकार, रंग योजना, लेबल के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री और ब्यूरो के लोगो के लेबल और रंग योजना की सामग्री अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसार होगी।
4. यूएचडी टेलीविजन पर लगाए जाने वाले ब्यूरो द्वारा विधिवत अनुमोदित लेबल का नमूना नीचे दर्शाया गया है।
यूएचडी टेलीविजन का लेबल:



पत्र में प्रदान किए गए विशिष्ट लेबल श्रृंखला कोड का उल्लेख यूएचडी टेलीविजन पर लगे लेबल में करना होगा।

दिनांक

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम.....

.....के लिए और उनकी ओर से
(फर्म का नाम)

फॉर्म III

[विनियम 7 का उप-विनियम (2) देखें]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा रखे जाने वाले अनुज्ञाधारक का रजिस्टर

क्र.सं.	आवेदन संख्या और अनुमति की तारीख	अनुज्ञाधारक का नाम और विवरण (संपर्क व्यक्ति, पता, पिन कोड, राज्य, फोन नं., फैक्स नं., ई-मेल, वेबसाइट)	उन उपकरणों का विवरण जिनके लिए अनुमति दी गई है	घोषित स्टार स्तर या दक्षता स्तर	बीईई अनुमति संख्या और विशिष्ट लेबल श्रृंखला	अवधि जिसके लिए अनुमति दी गई है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

लेबल सुरक्षा जमा राशि	द्वारा प्राप्त लेबल सुरक्षा जमा राशि (इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन (विवरण): दिनांक :)	प्राप्त आवेदन शुल्क की राशि	आवेदन शुल्क की प्राप्त राशि का विवरण (इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन (विवरण): दिनांक:)
(8)	(9)	(10)	(11)

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में लगाए गए लेबलों की संख्या	देय लेबलिंग शुल्क की राशि	लेबलिंग शुल्क की प्राप्त राशि का विवरण (इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन (विवरण): दिनांक:)	टिप्पणियां
(12)	(13)	(14)	(15)

फॉर्म IV

[विनियम 7 का उप-विनियम (7) देखें]

मौजूदा मॉडल पर लेबल लगाने की अनुमति जारी रखने की मांग करने वाले अनुज्ञाधारक द्वारा घोषणा
(प्रत्येक अलग-अलग मॉडल के लिए, संबंधित अनुलग्नक के साथ एक अलग पत्र प्रस्तुत किया जाए)
(कॉर्पोरेट निकाय/ अनुज्ञाधारक के पत्र-शीर्ष पर)

दिनांक:

सेवा में

महानिदेशक

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)

चौथी मंजिल, सेवा भवन,

सेक्टर 1, आर.के. पुरम,

नई दिल्ली-110066

भारत

विषय: ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (यूएचडी टेलीविजन के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और तरीका) विनियम, 2022 के अंतर्गत लेबल लगाने की अनुमति के लिए.....से प्रभावी स्टार स्तर के संशोधन संबंधी आवेदन।

1. मैं/हम यूएचडी टेलीविजन के विनिर्माता/ आयातक हैं जो [कंपनी का पूरा पता के साथ कंपनी का नाम] [व्यक्तिगत या फर्म का पूरा नाम] की शैली के अंतर्गत व्यापार कर रहे हैं, एतद्वारा यूएचडी टेलीविजन पर लेबल लगाने की अनुमति के लिए आवेदन करते हैं जैसा कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (यूएचडी टेलीविजन के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और तरीका) विनियम, 2022 में निर्दिष्ट किया गया है, जोसे स्टार स्तर में संशोधन के लिए होगा।

2. उपर्युक्त उपकरण [व्यक्तिगत या फर्म का पूरा नाम] का विनिर्माण या आयात किया जाता है और इसका विनिर्माण (फैक्टरी का नाम और पता) में किया जाता है या (आयातकर्ता का नाम और पता) से आयात किया जाता है;

3. नए स्टार स्तर के अनुरूप: मैं/हम तालिका.....परिवर्तन का पालन करते हैं जैसा कि यूएचडी टेलीविजन के लिए दिनांक.....की का.आ. संख्या.....में निर्दिष्ट है। उपर्युक्त उपकरण के संबंध में ब्यूरो के अनुमोदन की एक प्रति (जिसे पहले अनुमोदित किया गया था) संलग्न है।
4. यूएचडी टेलीविजन के संबंध में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो लेबल (स्टार स्तर परिवर्तन के संशोधन के अनुसार) की एक प्रति संलग्न है।
5. स्टार स्तर के संशोधन के अनुसार उपकरण/ मॉडल का विवरण।

मॉडल का नाम - _____

विवरण	घोषित मूल्य	
स्क्रीन का आकार (सें.मी)	--	
स्क्रीन एरिया (वर्ग सें.मी.)	--	
वार्षिक बिजली खपत (कि.वॉट घंटा/वर्ष)	--	
स्टार रेटिंग	(मौजूदा स्टार स्तर के अनुसार)	(संशोधित स्टार स्तर के अनुसार)

मैं/हम मैन्युअल आवेदन के साथ-साथ ऑनलाइन वेब पोर्टल में स्टार स्तर को [मौजूदा स्टार लेबल स्तर] से [संशोधित स्टार लेबल स्तर] में बदलने के लिए सहमत हूँ/हैं।

7. मैंने उक्त यूएचडी टेलीविजन मॉडल के लिए अब तक का अपना तिमाही उत्पादन डेटा और लेबलिंग शुल्क जमा कर दिया है।

8. मैं/हम ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट सभी निबंधन एवं शर्तों का पालन करने और ब्यूरो द्वारा की जाने वाली किसी भी जांच के मामले में आवश्यक सहायता/ सहयोग करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

9. मैं/हम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को सत्यापन और चुनौती परीक्षण के लिए नमूने का चयन करने हेतु अधिकृत करता हूँ/हैं और इस संबंध में ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

10. मैं/हम वचन देते हूँ/हैं कि इस आवेदन में दी गई सूचना मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही है, और यदि दी गई कोई भी सूचना गलत पाई जाती है, तो आवेदन को तुरंत रद्द किया जा सकता है।

दिनांक:

.....का दिन (वर्ष)

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

.....के लिए और उनकी ओर से

(फर्म का नाम)

फर्म की मुहर

फॉर्म v

[विनियम 11(3) देखें]

चुनौती परीक्षा/द्वितीय परीक्षा देखने के लिए अनुज्ञाधारक को सूचना

नई दिल्ली, दिनांक

सेवा में

.....

.....

.....

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (यूएचडी टेलीविजन के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और तरीका) विनियम, 2022 के विनियम 7 के प्रावधानों के अनुसार, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के दिनांक.....के पत्र सं.....द्वारा उसमें निहित निबंधन एवं शर्तों के अनुपालन के अधीन आपको यूएचडी टेलीविजन पर लेबल लगाने की अनुमति दी गई थी।

2. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (यूएचडी टेलीविजन के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और तरीका) विनियम 2022 के विनियम 11 के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने आपके अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर/डीलर/खुदरा विक्रेता से चालान नं.....दिनांक.....के माध्यम से रुपए की कीमत पर लेबल लगा एक स्टार यूएचडी टेलीविजन खरीदा था तथा उसे स्वतः परिक्षण या चुनौती परिक्षण के उद्देश्य से दिनांक.....को एक नमूने के तौर पर लिया था। उक्त विनियमों के विनियम 3 के अंतर्गत लेबल पर प्रदर्शित विवरणों के सत्यापन के लिए ब्यूरो द्वारा नियुक्त एक एजेंसी मैसर्स.....द्वारा नमूने खरीदे गए थे, जो आपके द्वारा ऊपर खरीदे गए यूएचडी टेलीविजन पर चिपकाए गए थे। मैसर्स.....द्वारा विधिवत मुहरबंद नमूना जिसका क्रमांक.....था, को सत्यापन एजेंसी के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर के अंतर्गत मैसर्स.....(डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, खुदरा विक्रेता का नाम) से प्राप्त किया गया था।

3. ब्यूरो ने अपनी पूर्वोक्त सत्यापन एजेंसी के माध्यम से पैरा 2 में संदर्भित नमूने को राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड की एक मान्यता-प्राप्त प्रयोगशाला मैसर्स.....को दिनांक.....की अधिसूचना संख्या का.आ.....के पैरा 4, 5 में वर्णित परीक्षण प्रक्रिया के अनुसार परीक्षण करने और दिनांककी अधिसूचना संख्या का.आ. के अनुलग्नक में दिए गए फार्म के अनुसार परीक्षण रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था।

4. उत्पाद का विवरण और स्वतः परिक्षण के परिणाम (यदि लागू हो) इस पत्र के साथ संलग्न हैं। अब, इसलिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (यूएचडी टेलीविजन के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और तरीका) विनियम 2022 के विनियम 11 के उप-विनियम (1) के प्रावधानों के अनुसरण में, ब्यूरो.....(तारीख) को राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड द्वारा मान्यता-प्राप्त.....(प्रयोगशाला का नाम) से स्वतः परिक्षण/ चुनौती परीक्षण (जैसा लागू हो) आयोजित कर रहा है।

5. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (यूएचडी टेलीविजन के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और तरीका) विनियम 2022 के विनियम 11 के उप-विनियम (4) के प्रावधानों के अनुसार ब्यूरो एतद्वारा सूचित करता है कि—

- (i) नामित अधिकारी के नाम, पदनाम और हस्ताक्षर को दर्शाने वाले प्राधिकार-पत्र के साथ निर्दिष्ट उपरोक्त तिथि को एक अधिकारी को चुनौती परीक्षा/द्वितीय परीक्षण देखने के लिए नामित किया जाए (पत्र पर कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षर करके मुहर लगाई जाएगी)।
- (ii) इस पत्र के जारी होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर खरीद, परिवहन, परीक्षण और अन्य आकस्मिक व्यय की ऐसी लागत जमा करें, जैसा कि अनुलग्नक में उल्लेख किया गया है (व्यय को इलेक्ट्रॉनिक मोड से जमा किया जाएगा)।

6. कृपया नोट करें कि ब्यूरो चुनौती परीक्षण या दूसरे परीक्षण द्वारा सत्यापन करना जारी रखेगा, भले ही उपर्युक्त व्यय समय पर जमा नहीं किया जाता है या अधिकारियों को निर्दिष्ट अनुसार नामित नहीं किया जाता है और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (यूएचडी टेलीविजन के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और तरीका) विनियम 2022 के विनियम 11 के उप-विनियम (5) के अनुसार मामले में आगे अनुवर्ती कार्रवाई करेगा।

7. आज.....दिन..... माह.....वर्ष को इस पर हस्ताक्षर किए गए और मुहर लगाई गई।

भवदीय

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

संलग्नक:

1. उत्पाद का विवरण/ स्वतः परीक्षण परिणाम
2. अनुलग्नक V(क)
3. व्यय से संबंधित चालान

अनुलग्नक
[फॉर्म V का पैरा 5 देखें]
सूचना का विवरण

1. उत्पाद/ उपकरण विवरण

उपकरण और प्रकार
ब्रांड का नाम
मॉडल का नाम और संख्या
स्क्रीन का आकार (सेंटीमीटर)
स्क्रीन एरिया (वर्ग सेंटीमीटर)
वोल्टेज/ वोल्टेज रेंज
विनिर्माण का वर्ष
बीआईएस प्रमाणपत्र विवरण (यदि कोई हो) (लाइसेंस/ प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें)
स्टार रेटिंग या स्टार स्तर
विशिष्ट लेबल श्रृंखला कोड

2. ब्यूरो को जमा की जाने वाली राशि:

विवरण	संख्या/ व्यय (भारतीय रुपए में)
नमूनों की संख्या	
प्रति नमूना लागत	
कुल क्रय लागत	
कुल परीक्षण शुल्क	
परिवहन शुल्क (यदि लागू हो)	
अन्य (यदि लागू हो)	
अनुज्ञाधारक द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि	

3. स्वतः परीक्षण के परिणाम (यदि लागू हो):

ब्रांड	मॉडल	रेटेड वार्षिक ऊर्जा खपत	स्क्रीन का एरिया	स्टार रेटिंग (घोषित)	स्टार रेटिंग (जाँच परीक्षण)	टिप्पणियां

दिनांक.....

भवदीय

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

प्रपत्र VI

[विनियम 11 का उप-विनियम (7) देखें]

द्वितीय जांच परीक्षण में विफल रहने पर अनुज्ञाधारक को निर्देश

नई दिल्ली, दिनांक.....

सेवा में

.....

.....

.....

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (यूएचडी टेलीविजन के लेबल पर उनके प्रदर्शन के विवरण और तरीका) विनियम, 2022 के विनियम 7 के प्रावधानों के अनुसार, आपको ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के दिनांक.....के पत्र सं.....के माध्यम से उसमें निर्दिष्ट निबंधन एवं शर्तों के अनुपालन के अधीन यूएचडी टेलीविजन पर लेबल लगाने की अनुमति दी गई थी।

2. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (यूएचडी टेलीविजन के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और तरीका) विनियम, 2022 के विनियम के अंतर्गत ब्यूरो ने आपके अधिकृत वितरक, डीलर, रिटेलर से चालान के माध्यम से यूएचडी टेलीविजन लेबल वाला एक ऊर्जा दक्षता ब्यूरो स्टार खरीदा था जिसकी चालान सं.....है और इसे ब्यूरो द्वारा नियुक्त एक एजेंसी, मैसर्स.....द्वारा विनियम 3 के अंतर्गत उपरोक्त खरीदे गए यूएचडी टेलीविजन पर आपके द्वारा चिपकाए गए लेबल पर प्रदर्शित विवरणों के सत्यापन के लिए नमूने के तौर पर लिया गया था। मैसर्स.....द्वारा विधिवत सील किया गया नमूना क्रमांक.....मैसर्स..... (डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, खुदरा विक्रेता का नाम) से प्राप्त किया गया था जिस पर सत्यापन एजेंसी के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे।

3. ब्यूरो ने अपनी उपर्युक्त सत्यापन एजेंसी के माध्यम से पैरा 2 में संदर्भित नमूने को राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड की एक मान्यता-प्राप्त प्रयोगशाला मैसर्स.....को दिनांक.....की अधिसूचना संख्या का.आ..... के पैरा 4, 5 में वर्णित परीक्षण प्रक्रिया के अनुसार परीक्षण करने और दिनांककी अधिसूचना संख्या का.आ. के अनुलग्नक में दिए गए फार्म के अनुसार परीक्षण रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था।

4. विशिष्ट पहचान क्रमांक..... नमूने की परीक्षण रिपोर्ट का परिणाम संलग्न हैं। परीक्षण रिपोर्ट के परिणामों ने संकेत दिया है कि यूएचडी टेलीविजन का नमूना ऊर्जा खपत मानक, सेवा मूल्य, आदि को पूरा करने में विफल रहा है और यह आपके द्वारा विनिर्मित/आयातित यूएचडी टेलीविजन पर लेबल लगाने की अनुमति मांगने के लिए आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन के साथ संलग्न फॉर्म-I में आपके द्वारा प्रस्तुत परीक्षण विवरण के अनुरूप नहीं था। आपके अधिकृत संपर्क व्यक्ति के नाम पर ब्यूरो के दिनांक के पत्र संख्या..... के माध्यम से परीक्षा परिणाम आपको भेजे गए थे। आपको राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड द्वारा मान्यता-प्राप्त हमारी प्रयोगशाला मैसर्स.....में नमूनों के दूसरे जांच सत्यापन परीक्षण में भाग लेने और देखने की भी आवश्यकता थी।

5. दूसरे जांच सत्यापन परीक्षण के लिए नमूना दिनांक..... को हमारी अधिकृत एजेंसी के माध्यम से मैसर्स.....के माध्यम से उठाया गया था और राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड द्वारा मान्यता-प्राप्त हमारी अधिकृत एजेंसी मैसर्सद्वारा विधिवत मुहरबंद करके परिवहन करके प्रयोगशाला में भेजा गया था और सत्यापन एजेंसी के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के साथ-साथ आपके प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर के अंतर्गत.....से प्राप्त उक्त नमूने पर अंकित विशिष्ट पहचान क्रमांक दिया गया था।

6. दूसरी जांच के परीक्षण के परिणाम संलग्न हैं जिसकी राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड की मान्यता-प्राप्त प्रयोगशाला के सक्षम अधिकृत कर्मियों द्वारा विधिवत जाँच की गई है और उस पर प्रतिहस्ताक्षर किए गए हैं। दूसरे जांच परीक्षण के गवाह के रूप में परीक्षण रिपोर्ट पर आपके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षर भी किए गए हैं। परीक्षण के परिणाम इस बात की पुष्टि करते हैं कि वे दिनांक.....की का.आ. सं.....में दिए गए अपेक्षित मापदंडों और मानकों को पूरा करने और विनिर्मित/ आयातित और बाजार में बेचे गए यूएचडी टेलीविजन पर चिपकाए गए लेबल पर प्रदर्शित विवरण जिसके लिए आपको अनुमति दी गई थी, की निबंधन एवं शर्तों को पूरा करने में विफल रहे हैं।

7. अब, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (यूएचडी टेलीविजन के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और तरीका) विनियम, 2022 के विनियम 11 के उप-विनियम (5) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ब्यूरो एतद्वारा निर्देश देता है:-

- (i) यूएचडी टेलीविजन के लेबल पर प्रदर्शित स्टार स्तर को ठीक किया जाए या परीक्षण के दौरान पाई गई कमियों और कमियों को दूर किया जाए;
- (ii) ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के लिए बाजार से सभी स्टॉक वापस लिया जाए;
- (iii) विज्ञापन सामग्री पर प्रदर्शित विवरणों को बदला जाए।

8. आपको इस पत्र के जारी होने की तारीख से दो महीने के भीतर उपर्युक्त सुधारात्मक कार्रवाई को पूरा करने और दो महीने की समाप्ति के बाद दस दिनों के भीतर फॉर्म VI में अनुपालन रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया जाता है, अर्थात्..... यदि उक्त तारीख तक कोई अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है, तो ब्यूरो, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (यूएचडी टेलीविजन के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और तरीका) विनियम, 2022 के विनियम 11 के उप-विनियम (6) के खंड (ख) के अनुसार इन विनियमों के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए आगे कदम उठाएगा।

9. ब्यूरो, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (यूएचडी टेलीविजन के लेबल पर उनके प्रदर्शन के तरीके और विवरण) विनियम, 2022 के विनियम (5) (6) (7) और (8) के संदर्भ में मामले में आगे की कार्रवाई करेगा।

सचिव,
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

संलग्नक:

1. विफल मॉडल की परीक्षण रिपोर्ट
2. विनिर्माता के साथ पत्राचार

फॉर्म VII
की गई कार्रवाई रिपोर्ट
[विनियम 11 का उप-विनियम 6 देखें]
(संगठन के पत्र-शीर्ष पर प्रस्तुत किया जाए)

दिनांक:.....

सेवा में

सचिव,
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)
चौथी मंजिल, सेवा भवन,
सेक्टर 1, आर.के. पुरम,
नई दिल्ली-110 066
भारत

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (यूएचडी टेलीविजन के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और तरीका) विनियम, 2022 के विनियम 7 के प्रावधानों के अनुसार, हम यूएचडी टेलीविजन के विनिर्माता मैसर्सको उर्जा दक्षता ब्यूरो के दिनांक.....के पत्र सं..... द्वारा मॉडल संख्या.....के लिए.....स्टार स्तर पर ऊर्जा खपत मानक के अनुरूप यूएचडी टेलीविजन पर लेबल लगाने की अनुमति दी गई थी।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (यूएचडी टेलीविजन के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और तरीका) विनियम, 2022 के विनियम 11 के उप-विनियम (5) के प्रावधानों के अनुसार, हमें ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के दिनांक..... के पत्र संख्या.....के अंतर्गत आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए थे। ब्यूरो द्वारा जारी निर्देश को देखते हुए, हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि हमारी ओर से निम्नलिखित कार्रवाई की गई है।

	निर्देशित कार्रवाई	स्थिति	की गई कार्रवाई
(i)	ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के लिए यूएचडी टेलीविजन के लेबल पर प्रदर्शित स्टार स्तर को ठीक करें	हां/नहीं/लागू नहीं	स्टार स्तर को (दिनांक) सेस्टार से सुधार कर.....स्टार कर दिया गया है
(ii)	ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के लिए बाजार से सभी स्टॉक वापस ले लें, और	हां/नहीं/नहीं	ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के लिए बाजार से सभी स्टॉक वापस ले लिए गए हैं।
(iii)	विज्ञापन सामग्री पर प्रदर्शित विवरण बदल दें।	हां/नहीं/नहीं	हां/नहीं/नहीं

उपर्युक्त घोषणा हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है।

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम.....

.....के लिए और उनकी ओर से

कंपनी/फर्म आदि का नाम

फर्म/कंपनी की मुहर

THE BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st August, 2022

F. No. BEE/S&L/UHD/02/2022-23.—In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (2) of section 58 read with clause (n) of sub-section (2) of section 13 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Bureau of Energy Efficiency (the Bureau) with the previous approval of the Central Government, proposes to notify the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Ultra-High Definition (UHD) Television) Regulation 2022, the proposed draft regulations are hereby published in the Gazette of India, Extraordinary, as required by sub-section (1) of section 58 of the said Act, for the information of all the persons likely to be affected thereby and inviting their suggestions and objections (if any); and the notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of thirty days from the date of their publication in the Gazette of India, Extraordinary;

Any objections or suggestions, if any, may be addressed to the Director-General, Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power, 4th Floor, Sewa Bhawan, North Wing, Sector-1, R.K.Puram, New Delhi-110066;

Objections or suggestions which may be received from the persons with respect to the said draft regulations before the expiry of the period of thirty days specified in para 1 above, shall be taken into consideration by the Bureau of Energy Efficiency.

1. Short title and commencement.— (1) These regulations may be called the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of UHD Television) Regulations, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definition.- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-

- (a) "Act" means the Energy Conservation Act, 2001(52 of 2001);
- (b) "UHD television" means an appliance as specified in the notification under clause (b) of section 14 of the Act;
- (c) "Form" means a form appended to these regulations;
- (d) "label" means any written, printed, marked, stamped or graphic matter affixed to, or appearing upon, UHD television;
- (e) "label period" means the validity period of the annual energy consumption under energy consumption standard notified by the Central Government under clause (a) of section 14 and in case the end period of the validity period of the annual energy consumption is not notified, it shall be deemed to be valid until new values for the same are notified by the Central Government;
- (f) "models or family of models" means the model or range of models of one particular brand, to which a single set of test reports is applicable and where each of the models has the same physical characteristics, annual energy consumption, energy efficiency rating and performance characteristics;
- (g) "permittee" means a person or agency to whom permission has been granted to affix label under regulation 7;
- (h) "star rating or star level" means the grade of energy efficiency displayed on the label of the UHD television based on energy consumption standard notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act to denote the annual energy performance of UHD televisions;
- (i) "trader or seller" in relation to any labelled UHD television means a person who sells or distributes any such UHD television and includes the shopkeeper, trader, manufacturer and permittee who has been given permission to affix label on such UHD television.

- (2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act, shall have meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Particulars to be displayed on label.- (1) On every UHD television, the following particulars shall be displayed on its label, namely:-

- (a) the logo of the Bureau of Energy Efficiency;
- (b) Equipment;
- (c) Type;
- (d) Make/Manufacturer/Importer;
- (e) model number and year of manufacturing or import;
- (f) screen size in centimetre (screen size measured diagonally across the screen in centimetre);
- (g) annual energy consumption in kWh per year;
- (h) Unique series code;
- (i) star level; and
- (j) label period.

- (2) The design, colour, size and content of label shall be as specified in the Schedule annexed to these regulations.

4. Time limit for display of labels.- (1) A label containing all the particulars specified in regulation 3 shall be displayed on every UHD television within a period of six months from the date of coming into force of these regulations.

- (2) On and from commencement of revised energy consumption standards notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act, every permittee or trader or seller-

- (a) shall not produce the UHD television with the previous energy consumption standards;
- (b) the UHD television shall display revised star level and label period with the revised energy consumption standard and the manufacturing year of the UHD television in synchronization with revised energy consumption standards;

- (c) All preparatory steps including awareness of the dealers, retailers, requisite publicity for their education as well as for the education of the consumers are well planned and action taken in advance.

5. Manner of display of label.- (1) The label shall be affixed at the front display of the unit and should be easily visible as referred in sub-regulation (2) of regulation 3 and the permittee shall ensure that the label appears on every registered unit or model on display for identification purpose, at point of sale or hire and the label shall also be printed or pasted to the exterior to the casing containing the unit or model.

- (2) For units not on display, the label may be printed or pasted to the exterior of the casing of the UHD television and the label may be attached to the unit or model when the unit or model is removed from its packaging or the label may be included as a part of the documentation given to the customer or user.

6. Permission for display of label.- (1) No star label shall be affixed on a UHD television without obtaining the prior permission of the Bureau.

- (2) Company registration.- For the purposes of obtaining permission of the Bureau, every brand shall be registered separately as specified in Form I – (A), accompanied by a label security fee of one lakh rupees, payable by electronic mode of payment:

Provided that in case of small scale industry, the label security fee shall be twenty five thousand rupees only.

- (3) Model registration.- Every application of the permittee under sub-regulation (2) shall be accompanied by—

- (a) an application fee of two thousand rupees per model, payable by electronic mode of payment; and
- (b) documents specified in Form I – (B).

7. Grant of permission.- (1) On receipt of an application under regulation 6 and after being satisfied that all requirements therein are complied with, the Bureau may, within a period as specified in its Manual on standards and labeling namely DISHA (Disseminating Star Labeling in Household Appliance), subject to such terms and conditions as specified in regulation 8, –

- (a) register the brand in Form II-(A) in electronic form; and
- (b) grant permission for affixing label on UHD television in Form II-(B) in electronic form.

- (2) The Bureau shall maintain a register in Form III and enter the name of permittee therein.

- (3) The permission so granted under sub-regulation (1) shall be valid for such period till which the star level specified by the energy consumption standard as notified by the Central Government under clause (a) of section 14 is in force.

- (4) In case of revision of star rating plan, an application for renewal of permission shall be made by the permittee not later than one month before its expiry and shall be accompanied by a fee of rupees one thousand payable in electronic mode in favour of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi.

In case of extension of star rating plan, the said renewal fee of rupees one thousand shall be exempted.

- (5) On receipt of application for renewal under sub-regulation (4) and after being satisfied that all requirements are complied with, the Bureau may, within a period of one month from the date of such receipt, renew permission in Form II.

- (6) The permittee who seeks permission for continuance to affix label on the existing model of the UHD television from the date from which the revised star level comes into force shall submit a declaration according to Form IV.

- (7) The permittee shall seek permission to affix a label afresh, if a new model of the UHD television is to be launched synchronizing with the revised star level, and application for such permission shall be made six months in advance of coming into force of the revised star level.

8. Terms and conditions for display of particulars on label. – Every permittee, trader and seller shall comply with the following terms and conditions in displaying the particulars on label, namely:-

- (a) the star level displayed on the label of UHD television shall conform to energy consumption standards for UHD television notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act;
- (b) the label shall be affixed only on such model of UHD television for which permission has been granted;
- (c) the label shall be printed and affixed on the UHD television at the cost of the permittee;

- (d) the permittee, trader and seller shall ensure that the star level displayed on the label of UHD television shall be maintained at all time;
- (e) the permittee shall pay the label fee as specified in regulation 9;
- (f) the permittee shall furnish to the Bureau a statement containing details of production of labelled equipment and the accrued labeling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year;
- (g) the permittee shall furnish to the Bureau an updated list of authorised distributors, dealers, retailers, sellers appointed to sell their labelled products by 30th day of April of each year;
- (h) the permittee, trader and seller shall comply with such other terms and conditions which the Bureau may specify including those contained in the Bureau's Manual on standards and labeling namely DISHA (Disseminating Star Labeling in Household Appliance).

9. Label fee.- (1) Every permittee shall pay to the Bureau a label fee of thirty rupees for each label affixed on the UHD television.

(2) The label fee specified under sub-regulation (1) shall be paid annually within one month from the date of closure of each financial year:

Provided that on failure to pay the label fee within the period so specified, the Bureau may recover the amount due with interest thereon at ten per cent. per annum from the label security deposit made under clause (b) of sub regulation (3) of regulation 6 and if complete labeling fees are not recovered within one year of the last date of submission, the Bureau may cancel all labels granted to the permittee and publish the name of the permittee in the newspapers as a defaulter.

10. Refund of label security deposit.- Subject to the provisions of sub-regulation (2) of regulation 9, a permittee shall be entitled to a refund of the label security fee, on ceasing to manufacture UHD television.

11. Verification by Bureau.- (1) The Bureau or its designated agency may, either suo motu, or on a complaint received by it, carry out verification to ensure that the UHD television conforms to the star level and other particulars displayed on its label and that it complies with the other terms and conditions of permission.

(2) For the purpose of verification, samples shall be picked up at random by the Bureau or its designated agency from the manufacturing facility, warehouse or the retail outlet as it deems fit.

(3) Where, upon a complaint received under sub-regulation (1), the Bureau is required to carry out verification by challenge testing the UHD television in an independent laboratory duly accredited by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories, and a notice shall be issued to the permittee in Form V for carrying out such testing and the complainant shall be called upon to deposit, such expenses relating to sample cost, testing, transportation and other incidental expenses with the Bureau, within such time, as may be determined by Bureau and if the sample drawn under challenge testing fails, all expenses as specified shall be reimbursed by the permittee to the Bureau and the Bureau shall refund the aforesaid expenses to the complainant; and where the equipment passes the challenge test, then the expenses deposited by the complainant shall stand forfeited.

(4) Where a sample of UHD television used for testing fails the test during suo motu testing or challenge testing, the permittee shall be afforded another opportunity and the Bureau shall conduct a second test with twice the quantity of UHD television used in the first test, in an independent test laboratory which is different from the lab where the first check testing was conducted and shall be duly accredited by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories at the cost of the permittee. The Bureau shall intimate the permittee in Form V to witness the challenge testing referred to in sub-regulation (3) or the second test referred to in sub-regulation (4) and the expenses to be made towards the procurement and testing of sample.

(5) Where the second test fails, the Bureau shall,—

- (a) direct the permittee in Form VI, under intimation to all the State Designated Agencies, that the permittee within a period of two months,—
 - (i) correct the star level displayed on the label of the UHD television or remove the defects and deficiencies found during testing;
 - (ii) withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau;
 - (iii) change the particulars displayed on advertising material;

- (b) publish for the benefit of the consumers, the name of any permittee, brand name, model name or model number, logo and other specification in any national or regional daily newspaper and in any electronic or in any electronic means or in any other manner as it deems fit, within two months;
 - (c) Intimate to the concerned State Designated Agency to initiate adjudication proceedings against the permittee and the trader under section 27 of the Act.
- (6) The permittee shall, within ten days of the conclusion of the period of two months referred to in sub-regulation(5),-
- (a) send the compliance report in Form VII to the Bureau with respect to action taken in compliance with the direction.
 - (b) in case the compliance report referred to in clause (a) is not received or received without complying to any of the direction within the specified period, it shall be deemed as non-compliance of the direction issued and orders to that effect shall be passed by the Bureau.
- (7) The Bureau shall send the compliance report referred to in clause (a) and orders passed in clause (b) of sub-regulation (6) along with necessary documents to all the State Designated Agencies for the purpose of taking action under section 17 and enforcement of order passed under clause (b) of the said sub-regulation.
- (8) Where the permittee fails to comply with the directions issued by the Bureau under sub-regulation (5), the Bureau under intimation to all State Designated Agencies,shall,-
- (a) withdraw the permission granted to the permittee under sub-regulation (1) of regulation 7;
 - (b) send report to the Central Government accompanied by the test report in support of the failure by the permittee to conform to the energy consumption standards notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act, the directions of the Bureau referred in clause (a) of sub-regulation (6) for consideration and for taking action under clause (c) of section 14 of the Act by the Central Government;
 - (c) publish for the benefit of the consumers, the name of any permittee, brand name, model name or model number, logo and other specification in any national or regional daily newspaper and in any electronic or in any other manner as it deems fit within two months;
 - (d) intimate to the concerned State Designated Agencies to initiate further adjudication proceedings against the permittee and the trader under section 27 of the Act.

12. Cancellation of permission.—The Bureau may cancel the permission granted under regulation 7, if the permittee —

- (a) fails to comply with any of the terms and conditions specified under regulation 8;
- (b) fails to pay label fee within the period specified under regulation 9;
- (c) does not comply with the direction issued under regulation 11;

ABHAY BAKRE, Director General

[ADVT.-III/4/Exty./205/2022-23]

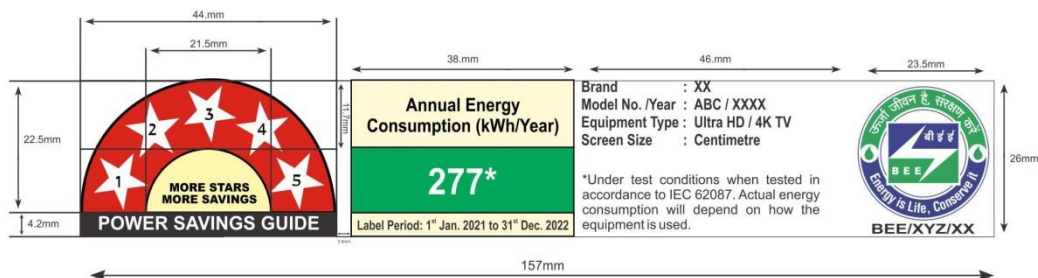
SCHEDULE

[See regulation 3 (2)]

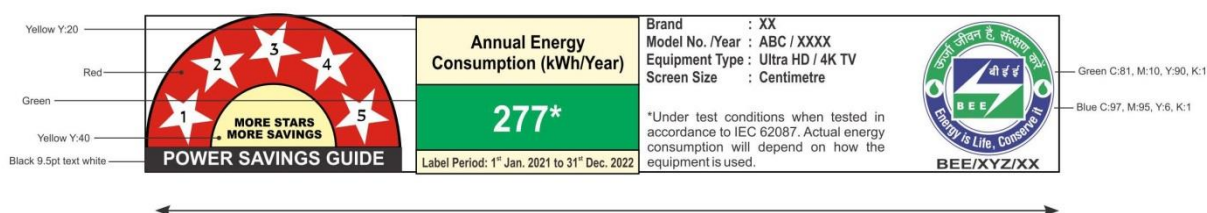
Particulars to be displayed on labels of UHD television.

(1.) Label design

(i) Dimension:



(ii) Colour scheme:



(iii) Colour scheme of Bureau of Energy Efficiency logo:

Blue –

Hue(H)-239o Saturation(S):64% Brightness(B):59%

Luminance or lightness(L) :28, chromatic components -a:24 b:54

Red(R):54 Green(G):55 Blue(B):151

Cyan(C):97% Magenta(M):95% Yellow(Y):6% Black(K):1%

Web colour code - #363797

Green –

Hue(H)-150o Saturation(S):10% Brightness(B):67%

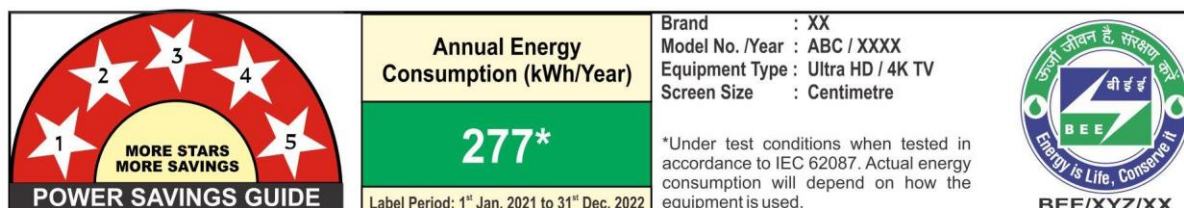
Luminance or lightness(L) :61, chromatic components -a:-53 b:32

Red(R):0 Green(G):170 Blue(B):87

Cyan(C):81% Magenta(M):10% Yellow(Y):90% Black(K):1%

Web colour code - #00AA56;

(iv) The complete specimen of a printed label for UHD television:



(2) Label material

The label shall be of durable cardboard, if it is to be attached as a swing tag, or be self-adhesive and shall be cut to one of the outlines shown in dimension design scheme for the label.

FORM I – (A)**[See regulation 6 (2)]****(To be printed in Company letter head)****Application for registration of brand of UHD Television under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of UHD Television) Regulations, 2022**

The Director General

Bureau of Energy Efficiency,

(Ministry of Power, Government of India)

4th Floor, Sewa Bhawan,

Sector-I, R.K. Puram,

New Delhi - 110066

India.

1. I/We am/are the manufacturer/manufacturers of UHD television carrying out business at(full business address) under the style of (full name of individual or firm) hereby apply for permission to affix label on UHD television as specified by the Bureau in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display of the Label on UHD television) Regulations, 2022.
2. The details of the information in respect of the equipment, company, manufacturing facility and payment is given in Annexure. A photocopy of the certificate of incorporation issued by the Registrar of Firms or Societies or Director of Industries (in case of Small-Scale Units) or similar other documents authenticating the name of the firm and its manufacturing premises is enclosed.
 - (a) Applicant/Authorised person:(Name and designation) is authorised to make this application on behalf of the company/firm or other authorities and will be responsible for accuracy of the information supplied with this application.
 - (b) Contact Person: (Name and designation) is authorised to be the contact person for coordination with the Bureau in respect of this application and use of the label.
 - (a) I/We undertake to intimate to the Bureau of any change in the authorised persons defined in (a) or (b) above.
3. Production and sales figures of the said equipment and the value thereof to the best of my/our knowledge and estimates are as follows:

Year	Production	Sales	Maximum Retail Price of the equipment (Rs.)
Last Year from..... to.....			
Current Year from..... to..... (estimate)			

4. A label security fee of one lakh rupees or twenty-five thousand rupees as the case may be.....has been paid by Demand Draft No. dated...../electronic mode (To be filled only at the time of submission of label security fee).
5. I/We agree to pay the labelling fee as specified by the Bureau.
6. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/cooperation to the Bureau in case of any enquiry to be made by it.
7. I/We authorise the Bureau of Energy Efficiency for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.

8. I/We undertake that the information supplied in this application is accurate to the best of my knowledge, and if any of the information supplied is found to be incorrect; the application may be rejected forthwith.

Dated thisDay of..... (Year)

Signature

Name

Designation

For and on behalf of.....

(Name of the firm)

SEAL OF FIRM

Annexure

[See para 2 of Form I- (A)]

1. Details of the Company

Name of the company	
Address	
Pin code	
State	
Phone number	
Fax number	
E-mail	
Website	
Enclosures to support registration:	Yes/No
(a) Document authenticating the name and address of the manufacturing or business premises	
(b) Trade mark certificate	
(c) Small scale industries Certificate, if applicable	
(d) Quality Management System Certificate	
(e) Authorised signatory letter	
(f) Bureau of Indian standards license, if applicable	
(g) Demand Draft (security deposit)/ payment receipt in case payment is made online	

2. Details of the manufacturing premise (a separate table may be provided in case of more than one manufacturing facility)

Name of the manufacturing facility	
Address	
Pin code	
State / Country	
Phone number	
Fax number	
E-mail	
Website	
Any other details (if any)	

Date

Signature

Name

Designation
 For and on behalf of.....
 (Name of the firm)
 SEAL OF FIRM

FORM I-(B)

[See regulation 6]

Application for permission to affix label on UHD Television under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of UHD Television) Regulations, 2022

The Director General
 Bureau of Energy Efficiency,
 (Ministry of Power, Government of India)
 4th Floor, Sewa Bhawan,
 Sector-I, R.K. Puram,
 New Delhi - 110066
 India.

1. I/We am/are the registered manufacturers or importers of UHD television carrying out business at
 ... (full business address) under the style of (full name of individual or firm) hereby apply for permission to affix label on UHD Television as specified by the Bureau in Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display of Label on UHD Television) Regulations, 2022.
2. Manufacturing Facility: The above equipment is manufactured or imported by(Name of the company) and is manufactured at.....(Name and address of the factory).
3. Details of information: The details of the information in respect of the equipment, company, manufacturing facility, certification for the test products, labels and payment is given in Annexure. A photocopy of the certificate of incorporation issued by the Registrar of Firms or Societies/Director of Industries (in case of Small Scale Units) or similar other documents authenticating the name of the firm and its manufacturing premises is enclosed.
 - (a) Applicant/authorised person:(Name and Designation) is authorized to make this application on behalf of the company/firm/etc., and will be responsible for accuracy and authenticity of the information supplied with this application.
 - (b) Contact Person: (Name and Designation) is the authorized contact person for coordination with the Bureau in respect of this application and the use of the Label.
 - (c) I/We undertake to intimate to the Bureau of any change in the authorised persons defined in (a) or (b) above.
4. Conformance to standards : I/We conform to the Bureau of Indian Standard/other International Standards in respect of Quality System/ Other standards in accordance with Indian standards/others (name and number of the standard)..... as specified in the notification on(title of the notification) for the..... (name of the equipment). A copy of the License/certificate in respect of the above equipment is enclosed.
 I/We have made arrangements for testing at our in-house laboratoryor at National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) accredited laboratory(Name and address of the laboratory) for ensuring consistency in quality of the equipment.
 Independent Laboratory details:
 - (a) Test details (test procedure/name/number)
 - (b) Accreditation status:
 - (c) Bureau of Energy Efficiency approval:

5. Production and sales figures of the said equipment and the value thereof to the best of my/our knowledge and estimates are as follows:

Year	Production	Sales	MRP of the equipment (Rs.)
Last year from _____ To _____ Current year from _____ To _____ (estimate)			

6. (a) An application fee of two thousand rupees paid by electronic mode.
(b) A Label security fee of one lakh rupees or twenty five thousand rupeeshas been paid by electronic mode.
(c) I/We agree to pay the labelling fee as specified by the Bureau.
7. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/ co-operation to the Bureau in case of any enquiry to be made by it.
8. I/We authorise the Bureau for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.
9. I/We undertake that the information supplied in this application is accurate to the best of my knowledge, and if any of the information supplied is found to be incorrect; the application may be rejected forthwith.

Dated thisDay of(Year)

Yours Faithfully,
Signature.....
Name
Designation.....
(Name of the firm)
Seal of the Firm

Annexure

[See para 3 of Form I- (B)]

Details of Information

1. Product/Equipment Detail

1.1 General (Complete the details as applicable)

Appliance and Type
Brand Name
Model Name and Number
Screen Size (centimetre)
Screen Area (sq. centimetre)
Voltage/Voltage Range
Year of Manufacturing
BIS certificate details (if any) (Attach copy of the license / certificate)
Star rating

1.2 Technical Specification (Complete the details as applicable)

(a) Tested values:

Sl. No.	Model Name/No.	Measured Values				Declared Values				Remarks
		Screen Size (cm)	Screen Area (sq.cm.)	Energy Consumption (kWh/Year)	Star Level or Energy Efficiency Level Measured	Screen Size (cm)	Screen Area (sq.cm.)	Energy Consumption (kWh/Year)	Star Level or Energy Efficiency Level	

2. Details of test laboratory

Name of the test laboratory	
Accreditation status (i) For laboratory (ii) For relevant standards (Attach copy of the accreditation certificate)	Yes/No
Validity of the accreditation (Attach supporting document)	
Address	
Pin code	
State	
Phone number	
Fax number	
E-mail	
Website	

3. Labelling information

Date of commencement	
Number of labels applied for Bureau of energy efficiency a) for the first year - b) for the second year - c) for the third year -	
Product serial No.	From _____ To _____

3. Model Details:

Model or family of models (if applicable)	Model name/model number
Base model	
Child models	

5. Specimen of the label to be affixed on the UHD television is shown below:
(Annex separate specimen for family of models (if applicable))

	Annual Energy Consumption (kWh/Year)	Brand : XX Model No./Year : ABC / XXXX Equipment Type : Ultra HD / 4K TV Screen Size : Centimetre	
	277*	*Under test conditions when tested in accordance to IEC 62087. Actual energy consumption will depend on how the equipment is used.	
Label Period: 1 st Jan. 2021 to 31 st Dec. 2022			

Date

Signature

Name

Designation

For and on behalf

of.....

(Name of the firm)

Seal of the Firm

FORM II – (A)

[See regulation 7 (1) (a)]

Permission for registration of brand of UHD television under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of UHD television) Regulations, 2022

 New Delhi,
 dated.....

To

1. Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of UHD television) Regulations, 2022, the Bureau hereby permits you to register your brand as per details of approvals set out in Annexure to this letter.
2. This permission is subject to—
 - (a) the star level displayed on the label of the UHD television shall conform to energy consumption standards for UHD television notified under clause (a) of section 14 of the Act and terms and conditions provided in the aforesaid regulations;
 - (b) the stamping of the label only on such model of UHD television for which permission has been granted;
 - (c) the printing and affixture of the label on the UHD television at the cost of the permittee;
 - (d) the permittee ensuring that the star level displayed on the UHD television shall be maintained at all time;
 - (e) the permittee paying the label fee as specified by the Bureau;
 - (f) the permittee furnishing to the Bureau a statement containing details of the production of the labelled equipment and the accrued labelling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year. The same details shall be furnished to the Bureau also through an automated system;
 - (g) the permittee making available such other details of UHD television as and when sought by the Bureau of which the permission has been granted.
3. The permittee shall not withdraw the registered brand and the UHD television from the market during the validity period except with the prior approval of the Bureau.

4. The unique label series code assigned by the Bureau of Energy Efficiency for the brand is..... and should appear on the label as per the approved design.
5. Signed, sealed and dated this..... day ofmonth year.

Yours faithfully

(Secretary)

Bureau of Energy Efficiency

Annexure
[See para 1 of ForII-(A)]
Details of Approvals

Name of the company	
Address	
Pin code	
State	
Phone number	
Fax number	
E-mail	
Website	

1. Name of the brand registered:
2. **Unique series code:**
3. **Other Details (if applicable):**

Date.....

Yours faithfully

(Secretary)

Bureau of Energy Efficiency

[See regulation 7 (1) (b)]

Permission/renewal of permission to affix label on UHD television under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of UHD television) Regulations, 2022

New Delhi, dated.....

To

.....

1. Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of UHD television) Regulations, 2022, the Bureau hereby permits you to affix label as per details of approvals set out in the Annexure to this letter.
2. This permission is subject to the condition that —
 - (a) the star level displayed on the label of the UHD television shall conform to energy consumption standard for UHD television notified under clause (a) of section 14 of the Act and terms and conditions provided in the aforesaid regulations;
 - (b) the label shall be affixed only on such model of UHD television for which permission has been granted;
 - (c) the label shall be printed and affixed on the UHD television at the cost of the permittee;

- (d) the permittee shall ensure that the star level displayed on the UHD television shall be maintained at all time;
- (e) the permittee shall pay the label fee of thirty rupees per label;
- (f) the permittee shall furnish to the Bureau, a statement containing details of production of labelled equipment and the accrued labelling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year. The same details shall be furnished to the Bureau through automated system;
- (g) the permittee shall make available such other details of UHD television as and when sought by the Bureau for which the permission has been granted.
3. This permission shall be valid with effect fromto.....and may be renewed as prescribed. The permittee shall not withdraw the UHD television from the market during the validity period of permission except with the prior approval of the Bureau.
4. The unique label series code assigned by the Bureau for the equipment isand should appear on the label as per the approved design.
5. Where the star level plans on review is modified by the Central Government, the star level of the UHD Television shall stand modified as follows:-
- (a)If new model is launched synchronizing with the revised star level, an application for such permission shall be made to Bureau six months in advance of the date from which new star level comes in to force;
- (b)Where the existing model is continued to give effect to the modified star level, only a declaration in Form IV shall be submitted to the Bureau.
6. Signed, sealed and dated this..... day ofmonth year.

Yours faithfully

(Secretary)
Bureau of Energy Efficiency

Annexure
[See para 1 of Form II]
Details of Approvals

1. Details of the equipment

Appliance and Type
Brand Name
Model Name / Number
Screen Size (centimetre)
Screen Area (sq. centimetre)
Voltage/Voltage Range
Year of Manufacturing

(a) Technical Specification:

Sl. No	Model Name/No.	Measured Values				Declared Values				Remarks
		Screen	Screen	Energy	Star Level or	Screen	Screen	Energy	Star	

		Size (cm)	Area (sq.cm.)	Consumption (kWh/Year)	Energy Efficiency Level Measured	Size (cm)	Area (sq.cm.)	Consumption (kWh/Year)	Level or Energy Efficien cy Level	
--	--	--------------	------------------	---------------------------	--	--------------	------------------	---------------------------	--	--

2. Label Details

Appliance and Type	
Name of the manufacturer/importer/Brand	
Model Name/Number	
Star level	
Screen Size	
Screen Area	
Year of Manufacturing	
Energy Consumption (kWh/Year)	
Unique Series Code	
Label Period	

3. The label design, size, colour scheme, material to be used for the label and the content of the label and colour scheme of the Bureau's logo shall be as specified in the Schedule.
4. Specimen of the label duly approved by the Bureau to be affixed on the UHD television is shown below.

Label of UHD television:

	Annual Energy Consumption (kWh/Year) 277*	Brand : XX Model No./Year : ABC / XXXX Equipment Type : Ultra HD / 4K TV Screen Size : Centimetre	
	Label Period: 1 st Jan. 2021 to 31 st Dec. 2022	*Under test conditions when tested in accordance to IEC 62087. Actual energy consumption will depend on how the equipment is used.	

The unique label series code provided in the letter has to be mentioned in the label affixed on the UHD television.

Date

Signature.....

Name.....

Designation.....

For and on behalf of.....

(Name of the firm)

FORM III

[See sub-regulation (2) of regulation 7]

Register of permittee to be maintained by the Bureau of Energy Efficiency (template)

S. No.	Application number and Date of Permission	Name and details of the permittee (Contact Person, Address, Pin Code, State, Phone No., Fax No., E-mail, Website)	Details of equipment for which the permission has been granted	Star level or efficiency level declared	BEE permission number and unique label series	Period for which the permission has been granted
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Amount of label security fee	Label security deposit received by (Electronic transaction (Details): Date:)	Amount of Application Fees received	Details of Application Fees Amount received (Electronic transaction (Details) : Date :)
(8)	(9)	(10)	(11)

Total number of labels affixed during each financial year	Amount of labelling fee payable to BEE for each financial year	Labelling fee details received for each financial year (Electronic transaction (Details): Date:)	Remarks
(12)	(13)	(14)	(15)

Form IV

[See sub-regulation (7) of regulation 7]

**Declaration by permittee seeking continuation of the permission to affix label on the existing model
(For each different model, a separate letter shall be submitted along with respective Annexure)
(On the letter head of corporate body / Permittee)**

Date:

To

The Director General

Bureau of Energy Efficiency

(Ministry of Power, Government of India)

4th Floor, Sewa Bhawan,

Sector 1, R.K.Puram,

New Delhi-110 066

India.

Sub: Application for permission to affix label vide Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of UHD television) Regulations, 2022 on revision of star level effective from

1. I/ We are the manufacturers / importers of UHD television carrying on business at [COMPANY NAME WITH FULL ADDRESS] under the style of [FULL NAME OF INDIVIDUAL OR FIRM] hereby apply for permission to affix label on UHD television as specified by the Bureau in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of UHD television) Regulations, 2022 which would go for revision of star level with effect from.....

2. The above equipment is manufactured or imported by [FULL NAME OF INDIVIDUAL OR FIRM] and is manufactured at (NAME AND ADDRESS OF FACTORY) or imported from (NAME AND ADDRESS OF IMPORTER);
3. Conformance to New star level: I/We conform to the table change as per Tableas specified in the notification no. S.O. numberdated.....for UHD television. A copy of the Bureau's approval in respect of the above equipment (which was earlier approved) is enclosed.
4. A copy of the Bureau of Energy Efficiency Label (as per revision of star level change) in respect of the UHD television is enclosed.
5. Details of the Equipment / Model as per revision of star level

Model Name - _____

Particulars	Declared Values	
Screen Size (cm)	--	
Screen Area (sq.cm.)	--	
Annual Electricity Consumption (kWh/year)	--	
Star Rating	(As per existing star level)	(As per the revised star level)

6. I/We agree to change the star level from [EXISTING STAR LABEL LEVEL] To [REVISED STAR LABEL LEVEL] in manual application as well as in the online web portal.
7. I have submitted my quarterly production data and labelling fee till date for the said UHD television model.
8. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/cooperation to the Bureau in case of any enquiry to be made by it.
9. I/We authorise the Bureau of Energy Efficiency for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.
10. I/We undertake that the information supplied in this application is accurate to the best of my/our knowledge, and should any of the information supplied is found to be incorrect, the application may be rejected forthwith.

Date:

Day of (Year).....

Signature

Name

Designation

For and on behalf of.....

.....

(Name of the firm)

SEAL OF FIRM

FORM V

[See regulation 11 (3)]

Intimation to permittee to witness Challenge test/Second test

New Delhi, dated the.....

To

.....

.....

-
1. Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of UHD television) Regulations, 2022 you were permitted to affix label on the UHD television vide Bureau of Energy Efficiency letter No.dated subject to the compliance of the terms and conditions specified therein.
 2. The Bureau, under regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of UHD television) Regulations 2022, had purchased a Bureau of Energy Efficiency star labelled UHD television from your authorized distributor/dealer/retailer vide Invoice numberdated..... for a price of Rs..... and lifted as a sample dated by.....for the purpose of suo motu testing or challenge testing. The samples were purchased by M/s....., an agency appointed by the Bureau for verification of the particulars displayed on the label under regulation 3 of the aforesaid regulations, affixed by you on the aforesaid purchased UHD television. The sample duly sealed by M/s..... bearing serial number----- was obtained from M/s.....(Name of the Distributor, dealer, retailer) under signatures of the duly authorized representative of the verification agency.
 3. The Bureau through its aforesaid verification agency had transported the sample referred to in para 2 to M/s....., a National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories accredited laboratory for conducting tests in accordance with the test procedure indicated in paragraphs 3, 4 and 5 of the notification number S.O.....dated.....for giving test report in accordance with the Form given in Annexure to the notification number S.O.
 4. The details of the product and the *suo motu* test results (if applicable) is enclosed with this letter. Now, therefore in pursuance of the provisions of sub-regulation (1) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of UHD television) Regulations 2022, the Bureau is conducting *suo motu* test/challenge test (as applicable) on(date) at(Name of laboratory), accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories.
 5. Pursuant to the provisions of sub-regulation (4) of regulation 11of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of UHD television) Regulations 2022, the Bureau hereby intimates to-
 - (i) nominate an official to witness challenge test/second test on the above date specified along with an authorization letter indicating (in original) the name, designation and signature of the nominated official (the letter shall be duly signed and stamped by authorized signatory of the company).
 - (ii) deposit such cost towards procurement, transportation, testing and other incidental expenses as mentioned in Annexure, within fifteen days from the date of issuance of this letter (the expenses shall be deposited through electronic mode).
 6. You may note that the Bureau shall continue the verification by challenge test or second test, even if the aforementioned expenses are not made in time or the officials are not nominated as specified and shall take further follow up action in the matter in terms of sub-regulation (5) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of UHD television) Regulations 2022.
 7. Signed, sealed and dated this..... day ofmonth.....year.

Yours faithfully

(Secretary)

Bureau of Energy Efficiency

Enclosures:

1. Details of product/ *suo motu* test results
2. Annexure V(a)
3. Invoice related to the expenses

Annexure

[See para 5 of Form V] Details of Information

1. Product/Equipment Detail

Appliance and Type
Brand Name
Model Name and Number
Screen Size (centimetre)
Screen Area (sq. centimetre)
Voltage/Voltage Range
Year of Manufacturing
BIS certificate details (if any) (Attach copy of the license / certificate)
Star rating or star level
Unique label series code

2. Amount to be deposited to the Bureau:

Details	Numbers/ expenses (in Indian Rupee)
Number of samples	
Cost per sample	
Total purchasing cost	
Total testing charges	
Transportation charges (if applicable)	
Others (if applicable)	
Total amount to be paid by the permittee	

3. Results of *suo moto* test (if applicable):

Brand	Model	Rated annual energy consumption	Screen area	Star rating (Declared)	Star rating (Check tested)	Remarks

Date.....

Yours faithfully
(Secretary)
Bureau of Energy Efficiency

FORM VI

[See sub-regulation (5) of regulation 11]

Direction to permittee on failure of second check testing

New Delhi, dated the.....

To

.....

.....

.....

Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (**Particulars and Manner of their Display on Label of UHD television**) Regulations, 2022 you were permitted to affix label on the UHD television vide Bureau of Energy Efficiency letter No.dated..... subject to the compliance of the terms and conditions specified therein.

2. The Bureau, under regulation ... of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of UHD Television) Regulations, 2022, had purchased a Bureau of Energy Efficiency star labelled UHD television from your authorised distributor, dealer, retailer vide Invoice numberdated for a price of Rs..... and lifted as a sample datedby M/s....., an agency appointed by the Bureau for verification of the particulars displayed on the label under regulation 3 of the aforesaid regulations, affixed by you on the aforesaid number.....was obtained from M/s..... bearing serial number.....was obtained from M/s.....(Name of the distributor, dealer, retailer) under signatures of the duly authorised representative of the verification agency.

3. The Bureau through its aforesaid Verification Agency had transported the sample referred to in para 2 to M/s., a National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories accredited laboratory for conducting tests in accordance with the test procedure indicated in paragraphs 4 and 5 of. S.O. numberdated thefor giving Test Report in accordance with the Form.....given in Annexure to S.O. numberdated the

4. The results of the test report of the sample bearing unique identification serial number..... is enclosed. The results of the test report indicated that the sample of UHD television failed to meet the energy consumption standard, service value, etc. and did not conform to the test details furnished by you in Form I annexed to the application submitted by you for seeking permission to affix label on the UHD television manufactured/imported by you. The test results were sent to you vide the Bureau's letter No.....dated.....in the name of your authorized contact person. You were also required to attend and witness the Second Check Verification Test of the samples at the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories Accredited Laboratory M/s.....

5. The sample for second check verification test was picked up dated the through our authorized Agency M/s.and transported to the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories accredited laboratory transported by our authorized agency, duly sealed by M/s..... and was given Unique Identification serial number embossed on the said sample obtained fromunder signatures of the duly authorized representative of the verification agency as well as your representatives.

6. The test results of second check testing are enclosed which are duly checked and counter signed by the competent authorized personnel of the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories accredited laboratory. The test report is also duly signed by your authorized signatory as witness of second check testing. The test results confirm that they failed to meet the requisite parameters and standards given in S.O. number....dated,and the terms and conditions of the permission given to you for display of particulars on label affixed to the UHD television manufactured/imported and sold in the market.

7. Now, therefore in exercise of the power conferred by clause (a)of sub-regulation (5) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of UHD television)Regulations, 2022, the Bureau hereby directs to:-

- (i) correct the star level displayed on the label of the UHD television or remove the defects and deficiencies found during testing;
- (ii) withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau;
- (iii) change the particulars displayed on advertising material.

8. You are hereby directed to complete the aforesaid corrective action within two months from the date of issue of this letter and send the compliance report in Form VI within ten days after the expiry of two months, i.e., byIn case no compliance report is received by the said date, the Bureau shall proceed

to take action in terms of clause (b) of sub-regulation (6) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of UHD Television) Regulations, 2022.

9. The Bureau shall take further follow up action in the matter in terms of regulations (5) (6) (7) and (8) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of UHD Television) Regulations, 2022.

Secretary,
Bureau of Energy Efficiency

Enclosures:

1. Test reports of the failed model
2. Correspondence with the manufacture

Form VII

Action Taken Report

[See sub-regulation 6 of regulation 11]

(To be furnished on letter head of the organisation)

Date:.....

To

The Secretary,
Bureau of Energy Efficiency
(Ministry of Power, Government of India)
4th Floor, Sewa Bhawan,
Sector 1, R.K.Puram,
New Delhi-110 066
India.

Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of UHD television) Regulations, 2022, we M/s.....the manufacturer of UHD television were permitted to affix label on the UHD television conforming to the energy consumption standard ofstar level vide Bureau of Energy Efficiency letter No.....dated.....for the model number.....

Pursuant to the provisions of sub-regulation (5) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of UHD television) Regulations, 2022, we were given directions vide Bureau of Energy Efficiency letter number.....dated..... to take necessary corrective action. In the light of directive issued by the Bureau, we hereby declare that the following actions have been taken at our end.

	Action Directed	Status	Action Taken
(i)	Correct the star level displayed on the label of the UHD television to comply with the directions of the Bureau	Yes/No/NA	The star level has been corrected from.....star to.....star with effect from (Date)
(ii)	Withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau.	Yes/No/NA	All the stocks from the market have been withdrawn to comply with the directions of the Bureau.
(iii)	Change the particulars displayed on advertising material.	Yes/No/NA	Yes/No/NA

The above declaration is true to the best of our knowledge and belief.

Signature.....

Name.....

Designation.....

For and on behalf of.....

Name of the Company/Firm

Seal of the Firm/Company